

उत्तर प्रदेश विधान सभा
की
सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति
का
132वां प्रतिवेदन

[यह प्रतिवेदन ग्राम्य विकास, पर्यावरण, नगर विकास, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, लघु सिंचाई, श्रम, विकलांग कल्याण, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, पशुधन तथा गृह (पुलिस) विभागों के वर्ष 1990 से 2010 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है, जिन्हें समिति ने पूर्ण मान लिया है।]

(दिनांक 16 मार्च, 2015 को सदन में प्रस्तुत किया गया)



उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय
समिति (सामान्य) अनुभाग-2

विषय-सूची

<u>क्रम-संख्या</u>	<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ-संख्या</u>
1	सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2009-2010) के सदस्यों की सूची ...	क
2	सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2010-2011) के सदस्यों की सूची ...	ख
3	सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2012-2013) के सदस्यों की सूची ...	ग
4	सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2013-2014) के सदस्यों की सूची ...	घ
5	सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2014-2015) के सदस्यों की सूची ...	ङ
6	उपस्थापन ...	छ-झ
7	प्रतिवेदन ...	1-105

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2009-2010) के सदस्यों की सूची

क्र०सं०	नाम	जनपद	पद
1	श्री लल्लू सिंह	फैजाबाद	सभापति
2	श्री जगपाल	सहारनपुर	सदस्य
3	श्री मधुसूदन शर्मा	आगरा	सदस्य
4	पंडित आर० के० शर्मा	बरेली	सदस्य
5	श्री रवीन्द्र कुमार मोल्हू	सहारनपुर	सदस्य
6	श्री शीशराम	विजनौर	सदस्य
7	श्री मो० ताबिस खान	संतकबीरनगर	सदस्य
8	श्री निर्मल वर्मा	सीतापुर	सदस्य
9	श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ०पी० सिंह)	सुल्तानपुर	सदस्य
10	श्री नरेन्द्र सिंह	सीतापुर	सदस्य
11	श्री आरिफ अनवर हाशमी (गोण्डा)	बलरामपुर	सदस्य
12	श्री जोखू लाल यादव	इलाहाबाद	सदस्य
13	श्रीमती प्रेमलता कटियार	कानपुर नगर	सदस्य
14	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
*15	श्री आदित्य पाण्डेय (22-09-09 से)	फतेहपुर	सदस्य

विधान सभा के अधिकारीगण

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री राधेश्याम	विशेष सचिव
3-श्री ज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा	उप सचिव

नोट :- पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं०-1197/वि०स०/प०का०/06(प)/2009, दिनांक 09 सितम्बर, 2009 द्वारा समिति का गठन हुआ।

2. * पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं०-1209/वि०स०/प०का०/06(प)/2009, दिनांक 22 सितम्बर, 2009 द्वारा श्री आदित्य पाण्डेय, फतेहपुर को शेष कालावधि के लिए उक्त समिति में नाम-निर्दिष्ट किया गया।

ख

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2010-2011) के सदस्यों की उपस्थिति

क्र०सं०	नाम	जनपद	पद
1	श्री सुरेश कुमार खन्ना	शाहजहांपुर	सभापति
2	श्री जगपाल	सहारनपुर	सदस्य
3	श्री मधुसूदन शर्मा	आगरा	सदस्य
4	पंडित आर० के० शर्मा	बरेली	सदस्य
5	श्री रवीन्द्र कुमार मोल्हू	सहारनपुर	सदस्य
6	श्री शीशराम	बिजनौर	सदस्य
7	श्री मो० ताबिस खान	संतकबीरनगर	सदस्य
8	श्री निर्मल वर्मा	सीतापुर	सदस्य
9	श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ०पी० सिंह)	सुल्तानपुर	सदस्य
10	श्री आदित्य पाण्डेय	फतेहपुर	सदस्य
11	श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा	सीतापुर	सदस्य
12	श्री आरिफ अनवर हाशमी (गोण्डा)	बलरामपुर	सदस्य
13	श्री जोखू लाल यादव	इलाहाबाद	सदस्य
14	डा० राजेन्द्र सिंह	आगरा	सदस्य
15	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य

विधान सभा के अधिकारीगण

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-डा० नरेन्द्र कुमार सिन्हा	विशेष सचिव (प्रथम)
3-श्री ज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा	उप सचिव

नोट :-पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं०-2659/वि०स०/प०का०/16(प)/2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 द्वारा समिति का गठन हुआ।

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2012-2013) के सदस्यों की सूची

क्र० सं०	नाम	जनपद	पद
1	श्री सुरेश कुमार खन्ना	शाहजहांपुर	सभापति
2	श्री आलमबदी	आजमगढ़	सदस्य
3	श्री आशुतोष मोर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
4	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
5	श्री गोरख पासवान	बलिया	सदस्य
6	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
7	श्री दीपक कुमार (उन्नाव)	उन्नाव	सदस्य
8	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
9	श्री प्रभुदयाल वाल्मीकि	मेरठ	सदस्य
10	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
11	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
12	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
13	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
14	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
15	श्री दलवीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य

विधान सभा के अधिकारीगण

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्री चन्द्र पाल लाल	उप सचिव.

नोट :- पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं०-1523/वि०स०/प०का०/14(प)/2012, दिनांक 24 अगस्त, 2012 द्वारा समिति का गठन हुआ।

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2013-2014) के सदस्यों की सूची

क्र० सं०	नाम	जनपद	पद
1	श्री सुरेश कुमार खन्ना	शाहजहांपुर	सभापति
2	श्री मो० इरफान	मुरादाबाद	सदस्य
3	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
4	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
5	श्री गोरख पासवान	बलिया	सदस्य
6	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
*7	रिक्त		
8	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
9	श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि	मेरठ	सदस्य
10	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
11	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
12	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
13	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
14	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
15	श्री दलवीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य

विधान सभा के अधिकारीगण

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्रीमती मधुबाला श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव

नोट :- पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं०-2582/वि०स०/प०का०/7(प)/2013, दिनांक 31 जुलाई, 2013 द्वारा समिति का गठन हुआ।

* पटल कार्यालय की अधिसूचना सं०-17/वि०स०/प०का०/18(प)/2012, दिनांक 27 जनवरी, 2014 द्वारा श्री दीपक कुमार की मृत्यु की सूचना के फलस्वरूप दिनांक 24 जनवरी, 2014 से एक पद रिक्त हो गया।

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2014-2015) के सदस्यों की सूची

क्र०सं०	नाम	जनपद	पद
1	श्री सतीश महाना	कानपुर	सभापति
2	श्री प्रभु दयाल बाल्मीकि	मेरठ	सदस्य
3	श्री मो० इरफान	मुरादाबाद	सदस्य
4	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
5	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
6	श्री गोरख पासवान	बलिया	सदस्य
7	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
8	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
9	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
10	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
11	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
12	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
13	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
*14	श्री दलबीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य

विधान सभा के अधिकारीगण

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्रीमती मधुबाला श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव

नोट :- पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं०-2222/वि०स०/प०का०/10(प)/2014, दिनांक 25 नवम्बर, 2014 द्वारा समिति का गठन हुआ।

* पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं०-2438/वि०स०/प०का०/10(प)/2014, दिनांक 28 नवम्बर, 2014 द्वारा श्री दलबीर सिंह, सदस्य, विधान सभा को समिति में नामित किया गया।

उपस्थापन

उपस्थापन

मैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 132वां प्रतिवेदन जो ग्राम्य विकास, पर्यावरण, नगर विकास, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, लघु सिंचाई, श्रम, विकलांग कल्याण, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, पशुधन तथा गृह (पुलिस) विभागों से सम्बन्धित है और जिसे समिति ने अपनी दिनांक की बैठक में अंगीकार किया है, प्रस्तुत करता हूँ।

इस प्रतिवेदन में उन 153 आश्वासनों की स्थिति अंकित की गयी है, जो वर्ष 1990 से 2010 तक की अवधि में शासन द्वारा सदन में समय-समय पर दिये गये थे। इन आश्वासनों पर समिति ने दिनांक 27-08-2010 से 30-09-2011 के मध्य अपनी बैठकों में विचार किया तथा शासन द्वारा आश्वासनों की पूर्ति की दिशा में की गई कार्यवाही का विश्लेषण एवं विभागीय प्रमुख सचिवों/सचिवों का साक्ष्य लेने के उपरान्त सन्तोष व्यक्त करते हुये आश्वासनों को पूर्ण माना है अथवा शासन द्वारा की गई कार्यवाही को सन्तोषजनक मानकर उन्हें जारी न रखने का निर्णय लिया है। उक्त अवधि के उन लम्बित आश्वासनों को प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया है, जिन पर शासन के उत्तर से समिति संतुष्ट नहीं है और उन्हें पूर्ण नहीं माना है।

समिति इस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिये प्रमुख सचिव, विधान सभा तथा समिति से सम्बद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करती है।

विधान भवन, लखनऊ।

दिनांक : 2015

सतीश महाना,

सभापति,

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति,

उत्तर प्रदेश, विधान सभा।

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 132वां प्रतिवेदन वर्ष 1990 से 2010 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है जिन पर समिति ने दिनांक 27-08-2010 से 30-09-2011 के मध्य अपनी विभिन्न बैठकों में विचार किया तथा जिनकी पूर्ति के सम्बन्ध में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है और जिन्हें समिति ने पूर्ण मान लिया है। उक्त सूची में उन आश्वासनों का भी उल्लेख किया गया है जिनके संबंध में शासन द्वारा कृत कार्यवाही से समिति संतुष्ट है और उन पर अग्रेतर कार्यवाही/विचार करना आवश्यक नहीं समझा है।

ग्राम्य विकास विभाग

आश्वासन संख्या	तिथि, प्रश्न संख्या, सदस्य का नाम तथा विषय	आश्वासन	शासन द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3	4
		ग्राम्य विकास-5 (नगर विकास-5 से)	
721/99	12-3-99 : अतारां0-81 श्री भरत सिंह- जय प्रकाश नगर बलिया में जल निगम द्वारा निर्माणाधीन पानी की टंकी के कार्य को पूरा कराया जाना।	चालू करने का प्रयास है।	अवगत कराया गया कि टंकी वर्ष 2001-02 में पूर्ण हो चुकी है और इसे चालू किया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 30-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		ग्राम्य विकास-4	
59/2000	29-3-2000 : अतारां0-157 श्री छोटे लाल गंगवार- वित्तीय वर्ष 98-99 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बरेली द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना की उपयोजना वाटर रोड के अन्तर्गत बरेली के विभिन्न विकास खण्डों में भूमि संरक्षण से कराये जाने हेतु भूमि संरक्षण अधिकारी शारदा (नहर प्रणाली खण्ड-3) को अवमुक्त किये रु0 51.235 लाख धनराशि के प्रकरण की जांच।	जांच कराई जा रही है।	अवगत कराया गया कि इसकी जांच करायी गयी। एक प्रकरण में 80 हजार और दूसरे में 1 लाख 24 हजार रुपये की रिक्वरी के आदेश किये गये थे, यह रिक्वरी हो गयी है और दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर ली गयी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 20-9-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
		ग्राम्य विकास-2	
623/2000	10-5-2000 : अतारां0-9 श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कर्मचारियों को नगर पालिका परिषद् एवं जिला पंचायत के कर्मचारियों की भांति पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना।	निर्णय लिया जायेगा।	अवगत कराया गया कि वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार डी0आर0डी0ए0 के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भांति पेंशन एवं ग्रेच्युटी की सुविधा नियमानुसार देय नहीं है। इन्हें छटे वेतनमान का लाभ दे दिया गया है। समिति ने उक्त पर संतोष व्यक्त करते हुए आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 20-9-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
		ग्राम्य विकास-5	
624/2000	10-5-2000 : अतारां0-19 श्री आर0के0 सिंह- इन्दिरा आवास के चयन में अनियमितता किये जाने पर चित्रकूट के खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच।	कार्यवाही की जा रही है।	अवगत कराया गया कि इसकी जांच करायी गयी, खण्ड विकास अधिकारी दोषी पाये गये जिनके लिये उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि का दण्ड दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 20-9-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

ग्राम्य विकास-4

627/2000 10-5-2000 : अतारां0-33 दी जायेगी।
श्री आर0के0 सिंह पटेल-
जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड
चित्रकूट व विकास खण्ड पहाड़ी
में क्रमशः नरायनपुर व देडुरुछ
माफी में दो सामुदायिक सिंचाई
लघु लिफ्ट का निर्माण।

अवगत कराया गया कि इसमें दोनों परियोजनाएं पूर्ण की
जा चुकी हैं कोई कार्य शेष नहीं है। समिति ने उक्त से संतुष्ट
होकर आश्वासन को पूर्ण माना।

(दि0 30-12-2010 की कार्यवाही से पूर्ण)

ग्राम्य विकास-5

629/2000 10-5-2000 : अतारां0-42 दण्डादेश पारित किये जायेंगे।
श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-
विधान सभा क्षेत्र तिलहर
शाहजहांपुर में शासन द्वारा दिये
गये 25 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों
में की गई अनियमितताओं की
जांच एवं दोषी व्यक्ति के विरुद्ध
कार्यवाही।

अवगत कराया गया कि जांच में अनियमितता की पुष्टि
हुयी थी। आठ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी। दो
लोगों को चेतावनी तथा 6 लोगों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी।
हैण्डपम्प भी लग चुके हैं और वह काम कर रहे हैं। समिति ने
उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 30-12-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
ग्राम्य विकास-5			
632/2000	10-5-2000 : अतारां0-68 श्री अफजाल अहमद- विधान सभा क्षेत्र सदर जौनपुर में भारत सरकार की गाइड लाइन मानक के अनुसार 500 हैण्डपम्प के अधिष्ठापन की कार्यवाही।	कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।	अवगत कराया गया कि तीन वर्षों में 800 हैण्डपम्प लगाये गये तथा 117 खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराया गया। यहां पर 56 आदमी पर एक हैण्डपम्प लगा हुआ है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 30-12-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
ग्राम्य विकास-5			
633/2000	10-5-2000 : अतारां0-77 श्री हरवंश कपूर- उन्नाव के ब्लाक वीघापुर के ग्राम इन्देमऊ में रि-बोर योग्य हैण्डपम्प को जिला योजना में उपलब्ध धनराशि से ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में।	कराये जायेंगे।	अवगत कराया गया कि रि-बोर योग्य स्थाई रूप से खराब 02 हैण्डपम्पों को उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा एवं अस्थायी रूप से खराब 04 हैण्डपम्पों को ग्राम सभा द्वारा ठीक करा दिया गया है। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 29-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

ग्राम्य विकास-2

637/2000	10-5-2000 : अतारां0-131 श्री राम औतार शाक्य- आचार्य क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान चरगोवा गोरखपुर द्वारा विकास कार्यों में किये गये लाखों रुपये के घपले की शिकायत विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम-1/ 28196/मैनपुरी दिनांक 6-12-99 पर जांच की कार्यवाही।	जांच कराई जा रही है।	अवगत कराया गया कि जांच के आधार पर आरोपित अधिकारी श्री शंकर प्रसाद पाण्डेय को दोषी पाते हुए उनके ऊपर 74777.00 की रिकवरी उनकी ग्रेच्युटी से की जा चुकी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 29-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग्राम्य विकास-4

639/2000	10-5-2000 : अतारां0-145 श्री अब्दुल मन्नान- ग्राम पंचायत घुघेरा सण्डीला हरदोई के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना की धनराशि रु0 826.00 का किये गये गबन की वसूली के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि इसमें 82615 रुपये में से आधी धनराशि रु0 41307.50 की वसूली श्री हरिशरण त्रिपाठी सेवानिवृत्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के देयकों से वसूली कर ली गयी है। शेष आधी धनराशि की वसूली के लिये श्री श्याम लाल ग्राम प्रधान को हवालात में भी बन्द किया गया है। उनके पास कोई चल-अचल सम्पत्ति भी नहीं है जिससे वसूली हो सके। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 29-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	2	3	4
646/2000	<p>10-5-2000 : अतारां0-183 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना- विकास खण्ड जैतीपुर शाहजहांपुर में खराब नलों को ठीक कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3-8-99 पर कार्यवाही।</p>	<p>जांच करायी जा रही है।</p>	<p>ग्राम्य विकास-5</p> <p>अवगत कराया गया कि इसमें 25 हैण्डपम्पों की स्थलीय जांच करायी गयी जांच में जी0आई0 पाइप मोटाई तथा गुणवत्ता संतोषजनक पाई गयी। हैण्डपम्पों की गहराई हैण्डपम्पों में प्रयुक्त की गयी पी0वी0सी0 पाइप की मात्रा एवं सिलेण्डर के ऊपर जल स्तर का विवरण भी सही पाया गया। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 29-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)</p>
814/2000	<p>17-5-2000 : अतारां0-146 श्री श्रीरामपाल- सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत विकास खण्ड महेवा जनपद जालौन में निर्मित कच्चे सम्पर्क मार्ग कालपी मदारीपुर रोड से ग्राम जरारा तक एवं ग्राम लोना तक तथा चुर्खी आटा मार्ग से ग्राम हैदलपुर सम्पर्क मार्गों के निर्माण में की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच में दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।</p>	<p>कार्यवाही प्रचलित है।</p>	<p>ग्राम्य विकास-4</p> <p>अवगत कराया गया कि श्री सोने लाल की मृत्यु हो जाने के कारण उनसे रु0 665.35 की वसूली नहीं की जा सकी। श्री हरेन्द्र कुमार सिंह से रुपये 2799.05 की वसूली करके परिनिन्दा प्रविष्टि का दण्ड दिया गया। श्री बच्चन राम से रु0 5121.16 की वसूली के आदेश दिये गये इनके सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उन्हें परिनिन्दा प्रविष्टि नहीं दी जा सकी। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 29-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)</p>

ग्राम्य विकास-4

815/2000 17-5-2000 : अतारां0-148 पूर्ण हो सकेंगे।
 श्री राधेश्याम सिंह-
 जनपद कुशीनगर में सुनिश्चित
 रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष
 1998-99 एवं 1999-2000 में
 स्वीकृत एवं अवमुक्त की गई
 धनराशि से अधूरे कार्य को पूरा
 कराने के सम्बन्ध में।

अवगत कराया गया कि इसमें अवमुक्त की गयी
 धनराशि से सुनिश्चित रोजगार योजना के समस्त अधूरे कार्यों
 को पूर्ण करा दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर
 आश्वासन को पूर्ण माना।

(दि0 30-9-2011 की कार्यवाही से पूर्ण)

ग्राम्य विकास-3

313/2001 2-5-01 : अतारां0-165 जांच कराई जा रही है।
 श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-
 जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
 चित्रकूट की कार्यदायी संस्था द्वारा
 कराये गये निर्माण कार्य की जांच।

अवगत कराया गया कि इसमें जांच करायी गयी कोई
 दोषी नहीं पाया गया। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर
 आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 20-9-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
ग्राम्य विकास-1			
314/2001	<p>2-5-01 : अतारां0-177 श्री राजपाल सिंह- जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड एका में रोशन सिंह एकाउन्टेन्ट वर्तमान तैनाती खेरगढ़ फिरोजाबाद ने खण्ड विकास की भूमि पर अवैध कब्जा करके मकान बनाने की शिकायत की जांच।</p>	कार्यवाही की जायेगी।	<p>अवगत कराया गया कि इसकी जांच करायी गयी। जिस जमीन पर उसने घर बनाया है, वह जमीन ब्लाक की नहीं है। बल्कि स्वास्थ्य विभाग और नवीन परती भूमि है। इस कर्मचारी के खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही की गयी थी और एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी गयी थी। दोनों में कोर्ट का स्टे है और वह कर्मचारी रिटायर हो चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 20-9-2010 की कार्यवाही से ड्राप)</p>
ग्राम्य विकास-5			
316/2001	<p>2-5-01 : नियम-56 प्रदेश में बढ़ रही पेयजल की समस्या को दूर किये जाने की मांग तथा बुन्देलखण्ड के सूखाग्रस्त घोषित करने एवं चित्रकूट में चिन्हित स्थानों पर ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में।</p>	कार्यवाही की जायेगी।	<p>अवगत कराया गया कि हैण्ड पम्प पर्याप्त मात्रा में लगाये गये हैं। 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार 01 लाख 21 हजार हैण्डपम्प स्थापित हैं। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 20-9-2010 की कार्यवाही से ड्राप)</p>

ग्राम्य विकास-1

459/2001 9-5-01 : तारां0-9 कार्यवाही की जायेगी।
श्री जगदम्बिका पाल-
ग्राम्य विकास अधिकारियों के
संवर्ग को मृत घोषित किये गये
शासनादेश को वापस लेने पर
विचार।

पंचायती राज विभाग के शासनादेश दिनांक 20-7-2004
द्वारा ग्राम्य विकास अधिकारी संवर्ग के पदधारकों को विभागीय
दायित्वों के निर्वाहन के लिये ग्राम्य विकास विभाग को वापस
कर दिया गया है तथा शासनादेश दिनांक 10-11-2004 द्वारा
ग्राम्य विकास अधिकारी संवर्ग को पुनर्जीवित कर दिया गया है।
समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
(दि0 20-9-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

ग्राम्य विकास-4

495/2001 9-5-01 : अतारां0-132 कार्य करा दिया जायेगा।
श्री जोखूलाल यादव-
ग्राम सभा बेलाही में प्रस्तावित
चकरोड सं0-497 के निर्माण के
सम्बन्ध में।

अवगत कराया गया कि इसमें तहसील से पैमाइश के
बाद विवाद समाप्त हो गया है और वर्ष 2005 में विवादित 80
मीटर में भी खड़न्जा कार्य कराया जा चुका है। समिति ने
उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
(दि0 29-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

ग्राम्य विकास-5

496/2001 9-5-01 : अतारां0-139 चालू करा दिया जायेगा।
श्री मुरलीधर-
विकास खण्ड छाता (फतेहपुर) में
लगे इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों को
रि-बोर कराकर शुद्ध पेयजल
उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

अवगत कराया गया कि इसमें दो हैण्डपम्प अधिष्ठापित
है जिसमें से एक हैण्डपम्प को रि-बोर कराकर तथा दूसरे
हैण्डपम्प जी0आई0 पाइप बदलकर चालू करा दिया गया है।
समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
(दि0 29-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
		ग्राम्य विकास-5	
1467/2001	1-6-01 : बजट चर्चा- मा0 सदस्यों की संस्तुति पर 50-50 हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि इसमें 50-50 हैण्ड पम्प लगवा दिये गये हैं। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 30-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		ग्राम्य विकास-3	
356/2002	2-9-2002 : अतारां0-13 श्री हाजी मुश्ताक सोलंकी- वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में विकास निधि से कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में श्री राम कुमार एडवोकेट पूर्व विधायक जनपद उन्नाव के शिकायती-पत्र दिनांक 20-6-2002 पर जांच।	जांच करायी जा रही है।	अवगत कराया गया कि इसमें 98 कार्य स्वीकृत थे, जिसमें से सिर्फ दो कार्यों को छोड़कर सभी कार्य पूरे हो गये हैं। अवशेष दो कार्यों में एक कार्य का पैसा डी0आर0डी0ए0 को वापस कर दिया गया है। दूसरे कार्य के लिये यदि विधायक जी द्वारा साढ़े उन्तीस लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करा दी जाये तो कार्य पूरा हो सकता है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 20-9-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
		ग्राम्य विकास-5	
357/2002	2-9-2002 : अतारां0-20 श्री संजय गर्ग- ग्राम पंचायत द्वारिकापुर तहसील फैजाबाद निवासिनी श्रीमती माधुरी के इन्दिरा आवास को गिरवा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की जांच।	जांच कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।	अवगत कराया गया कि इसमें श्रीमती माधुरी के पास करीब 80 वर्ग मी0 जमीन थी, लेकिन इन्होंने अपनी जमीन के अलावा 8 मी0 जो ग्राम पंचायत की जमीन थी उस पर बनवा लिया था। अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर उनकी ही जमीन पर निर्माण करा दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 20-9-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

ग्राम्य विकास-3

359/2002

2-9-2002 : अतारां0-25
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-
जनपद फतेहपुर में वर्ष
2000-2001 में विधायक निधि
द्वारा नरैनी में बड़ी नहर के पुल
से जगतपुर में कराये गये कार्यों
की जांच।

जांच आख्या प्रतीक्षित है।

अवगत कराया गया कि इसमें शिकायत काम की
क्वालिटी को लेकर थी, इसमें काम पूरा हो गया है।
संतोषजनक कार्य का प्रमाण-पत्र मा0 विधायक से प्राप्त नहीं
हुआ है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप
किया।

(दि0 20-9-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

ग्राम्य विकास-4

361/2002

2-9-2002 : अतारां0-38
श्री समर पाल सिंह-
जनपद मऊ में ग्राम पंचायत द्वारा
पौध आपूर्ति करने वाले फर्मों को
भुगतान चेक द्वारा करने पर
प्रकरण की जांच।

कार्यवाही की जायेगी।

अवगत कराया गया कि इसमें दो हजार रुपये से अधिक
की धनराशि का बियर चेक नहीं देना चाहिए था, परन्तु
बहुउद्देशीय कर्मियों की अज्ञानता की वजह से ऐसा हो गया
है, इसमें काम पूरा हो गया है। समिति ने उक्त पर संतोष
व्यक्त करते हुए आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 20-9-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
		ग्राम्य विकास-4	
362/2002	2-9-2002 : अतारां0-39 श्री राम करन आर्य- विकास खण्ड पवई तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1999-2002 तक सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि इसकी जांच करायी गयी थी, करीब 10 हजार रुपये का ज्यादा व्यय दिखाया गया था, जिसकी रिकवरी कर ली गयी है और मौके पर काम पूरा है। समिति ने उक्त पर संतोष प्रकट करते हुए आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 20-9-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
		ग्राम्य विकास-4	
363/2002	2-9-2002 : अतारां0-42 श्री सिद्धगोपाल साहू- चित्रकूट धाम में कवरई पेयजल योजना के रख-रखाव पर वर्ष 1999 से अब तक स्वीकृत धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच।	जांच कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।	अवगत कराया गया कि योजना के रख-रखाव पर रु0 1240836.01 तथा सेन्टेज एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर रु0 887225.67 व्यय किया गया है। रख-रखाव मद की धनराशि का व्यय एलम एवं क्लोरीन पर हुआ था जिसका उपयोग किया जा चुका है। इसलिये अब इसकी गुणवत्ता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। समिति ने उक्त पर संतोष व्यक्त करते हुए आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 20-9-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

ग्राम्य विकास-5

364/2002	2-9-2002 : अतारां0-44 श्री सुरेश कुमार खन्ना- जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा में खराब इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प को ठीक कराया जाना।	शीघ्र ही ठीक करा दिया जायेगा।	अवगत कराया गया कि इसमें सभी खराब हैण्डपम्पों को ठीक करा दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 20-9-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग्राम्य विकास-3

74/2003	10-11-2003 : अतारां0-70 श्री वीरेन्द्र सिंह मुन्ना- जनपद शाहजहांपुर में विधायक निधि से कराये गये कार्यों की जांच टी0ए0सी0 द्वारा कराया जाना।	निर्देशित कर दिया गया है।	अवगत कराया गया कि प्रकरण की जांच करायी गयी और इसमें 11 हजार रुपये की कमी पायी गयी थी जिसकी वसूली करके ट्रेजरी में जमा करा दी गयी है और मौके पर काम पूरा है। दोषी अभियन्ताओं को प्रतिकूल प्रविष्टि और परिनिन्दा प्रविष्टि का दण्ड भी दिया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 20-9-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग्राम्य विकास-5

273/2004	2-8-2004 : अतारां0-18 डा0 रामबाबू हरित- जनपद आगरा में खराब हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग कराया जाना।	जी हां।	अवगत कराया गया कि कुल 2384 हैण्डपम्प को रि-बोर कराकर चालू करा दिया गया है। समिति ने उक्त पर संतोष प्रकट करते हुए आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 30-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	2	3	4
ग्राम्य विकास-3			
380/2004	8-11-2004 : तारां0-5 डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर- विधायक निधि के संचालन हेतु गठित प्रकोष्ठ में पदों का सृजन एवं तैनाती किया जाना।	विचाराधीन है।	अवगत कराया गया कि इसमें शासन स्तर पर एक अलग प्रकोष्ठ गठित था अब एक सेक्शन गठित कर दिया गया है तथा सम्बन्धित स्टाफ की तैनाती की जा चुकी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 29-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
ग्राम्य विकास-4			
383/2004	8-11-2004 : अतारां0-8 श्री अब्दुल मन्नान- जनपद हरदोई के क्षेत्र पंचायत बेंहदर की ग्राम पंचायत सिरौली को वित्तीय वर्ष 2001-02, 2002-03 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम प्रधान द्वारा धनराशि हड़पने सम्बन्धी जांच एवं कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि इसमें ग्राम प्रधान द्वारा धनराशि का दुरुपयोग सिद्ध नहीं पाया गया। समिति ने उक्त पर संतोष व्यक्त करते हुए आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 29-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

ग्राम्य विकास-7

544/2005

8-8-2005 : अतारां0-88

आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

श्री फतेह बहादुर सिंह-
जनपद गोरखपुर में कन्या इण्टर
कालेज के त्रिस्तरीय पंचायत स्तर
पर चयनित किये जाने की प्रक्रिया
को विस्तृत जांच कराया जाना।

अवगत कराया गया कि गोरखपुर में राष्ट्रीय श्रम विकास
योजनान्तर्गत प्रस्तावित 19 कन्या माध्यमिक विद्यालयों में से
प्रथम चरण में 12 विद्यालयों का चयन करते हुए उपलब्ध
धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त
10 विद्यालयों को प्रथम किस्त के रूप में 10-10 लाख रुपये
अवमुक्त किये गये। विद्यालयों के चयन प्रक्रिया में अनियमितता
किये जाने के प्रकरण में धनराशि के व्यय पर रोक लगा दी
गयी। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप
किया।

(दि0 30-12-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

ग्राम्य विकास-4

545/2005

8-8-2005 : अतारां0-90

जांच के निर्देश कर दिये गये हैं।

श्री राम करन आर्य-
जनपद बलिया के वि0ख0 सीयर
अन्तर्गत ग्राम सभा कुहोतेतरा
(कड़सर) के ग्राम प्रधान की
विगत 5 वर्षों में जवाहर रोजगार
योजना इन्दिरा आवास व अन्य
मदों में दी गयी धनराशि से
कराये गये कार्यों की जांच कराया
जाना।

अवगत कराया गया कि ग्राम प्रधान को संदर्भित 5 वर्षों
में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत ग्राम निधि में कोई धनराशि
उपलब्ध नहीं करायी गयी बल्कि वर्ष 2001-2002 में मात्र 5
इन्दिरा आवास की धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे
हस्तान्तरित की गयी और दिये गये धन का उपयोग जांच में
सही पाया गया। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन
को ड्राप किया।

(दि0 30-12-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
ग्राम्य विकास-5			
546/2005	8-8-2005 : अतारां0-91 श्री उदयभान करवरिया- जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र बारा के अन्तर्गत विकास खण्ड शंकरगढ़ जसरा में पेयजल संकट के बारे में श्री दिनेश कुमार तिवारी के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही।	जांच करायी जा रही है।	अवगत कराया गया कि विकास खण्ड जसरा में मानक के अनुसार 1123 हैण्डपम्प के सापेक्ष 1501 हैण्डपम्प एवं विकास खण्ड शंकरगढ़ में मानक के अनुसार 1245 हैण्ड पम्प के सापेक्ष 2081 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। उक्त क्षेत्रों में पेयजल संतुप्त हैं। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 30-12-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
ग्राम्य विकास-1			
776/2005	9-3-06 : नियम-51 डा0 पी0 के0 राय- जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड दुदही में विकास कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के भुगतान एवं कार्य न होने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि जांच में दोषी पाये तीनों ग्राम विकास अधिकारियों से शासकीय क्षति की वसूली के साथ विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि भी प्रदान की गयी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 30-12-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

ग्राम्य विकास-8

815/2005	20-3-06 : अतारां0-116 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई- इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मेरठ व गोण्डा जनपद में बनाये गये इन्दिरा आवास मकानों की दिनांक 8-11-02 को की गयी स्थलीय जांच में पाये गये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही।	निर्देशित कर दिया गया है।	अवगत कराया गया कि जांच में काफी आरोप सही पाये गये। जनपद स्तर से 25 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी जिनमें से 15 अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी तथा 10 अधिकारियों को निलम्बित किया गया। समिति ने उक्त कार्यवाही से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 30-12-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग्राम्य विकास-9

134/2009	7-8-09 : नियम-300 श्री अनुग्रह नारायण सिंह- विधान सभा क्षेत्र विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्तावों को समय से स्वीकृत न किये जाने के सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि इसमें लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के जो अभियन्ता दोषी पाये गये थे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है। समिति पत्र दिनांक 29-9-2011 का संज्ञान लेकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 30-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	2	3	4
ग्राम्य विकास-1			
94/2010	8-2-2010 : अतारां0-139 श्री राम विशुन आजाद- जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत हरनाटायर के ग्राम कमलापुर में महिला उत्पीड़न के दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि इसमें जांच करायी गयी और जांच में शिकायत फर्जी पायी गयी। इसमें कोई कार्यवाही बाकी नहीं है। समिति ने उक्त जांच आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 30-12-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
ग्राम्य विकास-7			
105/2010	8-2-2010 : नियम-51 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के ग्रामों में ग्राम सभा निधि दुरुपयोग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने पत्र लिख कर अपनी शिकायत वापस ली है चूंकि प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य ने अपनी शिकायत वापस ले ली है जिस कारण समिति ने आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 30-12-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

ग्राम्य विकास-5

184/2010 15-2-2010 : तारां0-5
श्री जोखू लाल यादव-
बलिया जनपद में आर्सेनिक
फिल्टर युक्त हैण्डपम्प स्थापित
किया जाना।

कार्यवाही की जायेगी।

अवगत कराया गया कि जनपद बलिया में कुल 310 बस्तियां आर्सेनिक से प्रभावित हैं इन सभी बस्तियों में एक-एक आर्सेनिक रिमूवल यूनिट की स्थापना करके इन सभी बस्तियों को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित कर दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 30-12-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

ग्राम्य विकास-2

189/2010 15-2-2010 : अतारां0-42
श्री जोखू लाल यादव-
जनपद इलाहाबाद में
डी0आर0डी0ए0 में कार्यरत
कर्मियों का वेतन उच्चीकरण करने
के सम्बन्ध में।

प्रकरण विचाराधीन है।

अवगत कराया गया कि इसमें डी0आर0डी0ए0 के कर्मियों को छटा वेतनमान देकर उनका वेतन उच्चीकृत कर दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 30-12-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

ग्राम्य विकास-1

196/2010 15-2-2010 : अतारां0-95
श्री राम विशुन आजाद-
जनपद गोण्डा के विकास खण्डों
में रिक्त पदों पर तैनाती किये
जाने के सम्बन्ध में।

तैनाती की जायेगी।

अवगत कराया गया कि गोण्डा में खण्ड विकास अधिकारी के सृजित 16 पदों के सापेक्ष 14 खण्ड विकास अधिकारी एवं 2 संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 29-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
ग्राम्य विकास-4			
227/2010	<p>9-8-2010 : अतारां0-03 श्रीमती कृष्णा राज- जनपद लखीमपुर खीरी के कतिपय ग्रामों के कतिपय व्यक्तियों को अपूर्ण इन्दिरा आवास का आवंटन एवं समयबद्ध सीमा में पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।</p>	जांच कराई जा रही है।	<p>अवगत कराया गया कि इसमें अपूर्ण इन्दिरा आवासों को जल्दी ही पूर्ण कर लिया जायेगा। समिति ने 15 दिन में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 29-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)</p>
ग्राम्य विकास-5			
233/2010	<p>9-8-2010 : अतारां0-62 डा0 अनिल चौधरी- ग्राम विसावर वि0ख0 सादाबाद महामायानगर में क्षतिग्रस्त पानी की टंकी एवं उसकी सीढ़ियों की मरम्मत कराया जाना।</p>	जी हां।	<p>अवगत कराया गया कि इसमें ओवर हेड टैंक तथा टैंक की क्षतिग्रस्त सीढ़ियों की मरम्मत करा दी गयी है। समिति ने उक्त पर संतोष व्यक्त करते हुए आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 29-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)</p>

पर्यावरण विभाग

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
पर्यावरण			
140/97	25-7-97 : नियम-56 श्री रघुवर दयाल वर्मा- फिरोजाबाद शिकोहाबाद व मक्खनपुर में स्थित कांच व चूड़ी उद्योग हेतु गैस की आपूर्ति किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि गैस आपूर्ति प्राप्त करने हेतु अनुबन्धित उद्योगों की सं०-173 संचालित/गैस आपूर्ति प्राप्त उद्योगों की संख्या-170, बन्द व आपूर्ति प्राप्त नहीं उद्योगों की सं०-03, पकाई भट्टी एस० की संख्या जिनको गेल से प्राप्त नहीं है 18, ऐसे उद्योगों की संख्या जिनको गेल से गैस प्राप्त नहीं है। 221, गेल से गैस न प्राप्त करने वाले उद्योग जो संचालित नहीं हैं, की सं०-217 है। समिति ने विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि० 28-1-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
पर्यावरण			
143/98	22-6-98 : अतारां०-67 श्री कृपाशंकर सिंह- जनपद उन्नाव के बाईपास सड़क के किनारे लगी टेनरियों में प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था किये जाने की कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	अवगत कराया गया कि इसमें समस्त प्रदूषणकारी उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। वर्तमान में वहां पर प्रदूषण नहीं हो रहा है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि० 28-1-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
521/99	8-3-99 : तारां0-17 श्री रवीन्द्र पुण्डीर- जनपद मेरठ में बहने वाली काली नदी के पानी को जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्यवाही तथा हैण्ड पम्पों से मिलने वाले दूषित जल की जांच।	जी हां।	<p style="text-align: center;">पर्यावरण</p> <p>अवगत कराया गया कि मेरठ में कुल 31 जल प्रदूषणकारी उद्योगों का उत्प्रवाह निस्तारित होता है। जिनमें चार उद्योग स्वयं के कारणों से बन्द हैं एक उद्योग को बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है तथा एक को बन्दी आदेश पुनः प्रभावी कर दिया गया है। शेष 25 उद्योगों द्वारा पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित की गयी है। विश्लेषण आख्या के अनुसार केवल 10 नमूनों में पेयजल हेतु निर्धारित मानकों से अधिक आयरन की मात्रा पायी गयी यह नैसर्गिक कारणों से सम्भावित है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।</p> <p style="text-align: center;">(दि0 30-5-2011 की कार्यवाही से ड्राप)</p>
1038/99	22-3-99 : तारां0-2 श्री कुंवर रेवती रमण सिंह- शहरों में जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण रोकने की कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	<p style="text-align: center;">पर्यावरण</p> <p>अवगत कराया गया कि उन्नाव बाईपास के किनारे एवं आस-पास वर्तमान में 55 प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित हैं, समस्त प्रदूषणकारी उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। समिति विभागीय आख्या का संज्ञान लेते हुए आश्वासन को ड्राप किया।</p> <p style="text-align: center;">(दि0 28-1-2011 की कार्यवाही से ड्राप)</p>

पर्यावरण

1041/99

22-3-99 : अतारां0-20

कार्यवाही की जायेगी।

श्री मेजर जगतपाल सिंह-
मुरादाबाद में गन्ना मिलों के दूषित
पानी लगभग 500 गांवों की खेती
को ही रही नुकसान तथा पशुओं
में बीमारी से बचाने की
कार्यवाही।

अवगत कराया गया कि वर्तमान में 578 उद्योगों में से
397 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं नया
मानकों की पूर्ति की जा रही है एवं 114 उद्योग स्वयं के
कारणों से बन्द हैं तथा शेष 66 उद्योगों को निर्देश जारी किये
गये हैं। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप
किया।

(दि0 28-1-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

पर्यावरण

1350/99

15-7-99 : नियम-56

कार्यवाही की जा रही है।

श्री ओइमवेश-
जैन पेपर मिल एवं अन्य पेपर
मिलों बिजनौर से निकलने वाले
पानी की जांच एवं उनके विरुद्ध
कार्यवाही।

अवगत कराया गया है कि जैन पेपर मिल ने प्लान्ट लगा
लिया है उत्प्रवाह मानक के अनुरूप पाया गया है। हेमकुण्ड
और रामा पेपर मिल्स वेस्ट पेपर पर आधारित है और दो
इण्डस्ट्री एग्री वेस्ट पर आधारित है उन सभी में उत्प्रवाह बोर्ड
द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया। समिति ने
विभागीय आख्या का संज्ञान लेकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 28-1-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
पर्यावरण			
570/2000	8-5-2000 : अतारां0-49 श्री राम कुमार एडवोकेट- उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत न होने एवं पर्यावरण अधिनियम का अनुपालन न करने वाली जनपद उन्नाव की अवैध इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही।	अनुरोध किया गया है।	अवगत कराया गया है कि श्री मोहम्मद नायब द्वारा बन्थरा उन्नाव में खाद बनाने का उद्योग स्थापित किया गया था, यह उद्योग समाप्त हो चुका है। मै0 ग्लूकेम इण्डिया बन्थरा, उन्नाव में पूर्व में स्थापित था भी पूर्णतया बन्द हो चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 28-1-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
पर्यावरण			
652/2000	10-5-2000 : नियम-51 श्री पूर्णमासी पंकज- जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत दोषी पाये 7 उद्योगों को बन्दी तथा क्रोमियम की बड़ी हुई मात्रा हेतु दोषी उद्योगों की बन्दी की कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि 56 इकाइयां (कार्पेट डाइंग) स्थापित पायी गयी, जिसमें से 41 कार्पेट डाइंग यूनिट्स में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं। 08 डाइंग यूनिटें बन्द हैं शेष 07 उद्योगों के विरुद्ध बन्दी के आदेश जारी किये गये हैं। समिति ने विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 28-1-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

पर्यावरण

904/2000 23-10-2000 : अतारां0-105 कार्यवाही की जायेगी।
श्री सतीश जतारिया-
डायमण्ड सीमेन्ट फैक्टरी झांसी से
उड़ने वाली धूल एवं धुएं से
बरबाद हो रही फसल को बचाने
हेतु कार्यवाही।

अवगत कराया गया कि उक्त उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रत्येक स्रोत पर बैग फिल्टर्स एवं बाल मिल से जनित वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रो स्ट्रैटिक प्रेस पिटेटर की स्थापना की गयी है इसके अलावा वाटर स्पिकलर भी स्थापित है। उद्योग से जनित उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण में गुणता बोर्ड मानकों के अनुरूप है। समिति ने विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 28-1-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

पर्यावरण

906/2000 23-10-2000 : अतारां0-116 कार्यवाही की जायेगी।
श्री सतीश जतारिया-
नटराज आटो मोबाइल कम्पनी
झांसी शहर के धुएं एवं ध्वनि
प्रदूषण के विरुद्ध वायु अधिनियम,
1981 की धारा-31ए में नोटिस
निर्गत किये जाने एवं तदुपरान्त
कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध
में।

अवगत कराया गया है कि मै0 नटराज आटो मोबाइल प्रा0लि0 में 82.5 के0वी0ए0 क्षमता का डी0जी0ए0 सेट स्थापित है जिस पर ध्वनि और वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु एकास्टिक इन्क्लोजर की स्थापना की गयी है। डी0जी0 सेट की ध्वनि का स्तर मानक के अनुरूप है। सर्विसिंग वाशिंग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सेटलिंग चेम्बर आयल एण्ड ग्रीस ट्रेप स्थापित है। समिति ने विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 28-1-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
		पर्यावरण	
200/2001	30-4-01 : अतारां0-167 श्री राम ललित चौधरी- जनपद सीतापुर के मोहल्ला होलीनगर में मन्दिर वाली गली में दालमोट फैक्टरी एवं जीमा रोड पर टाफी फैक्टरी से हो रहे प्रदूषण को रोके जाने की मांग।	निर्देश दे दिये गये हैं।	अवगत कराया गया कि उद्योग के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है वर्तमान में उद्योग बन्द है तथा उद्योग परिसर से प्लान्ट एवं मशीनरी भी हटा ली गयी है एवं स्थल का उपयोग आवास के रूप में किया जा रहा है। समिति ने विभागीय आख्या पर संतोष व्यक्त करते हुए आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 28-1-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		पर्यावरण	
635/2001	11-5-01 : नियम-51 श्री अकबर हुसैन- मै0 बद्रीकेदार पेपर प्रा0लि0 नजीबाबाद बिजनौर के विरुद्ध जल अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही नियमानुसार कार्यवाही तथा प्रदूषित जल से फसलों की हो रही क्षति तथा जानवरों को हो रही बीमारियों के बचाव के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि निरीक्षण के दौरान उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र कार्यरत पाया गया और उद्योग के प्रदूषित जल से फसलों को हुयी क्षति तथा जानवरों को हुयी बीमारियों के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं पायी गयी। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 30-5-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

पर्यावरण

993/2001 21-5-01 : नियम-56 कार्यवाही की जा रही है।
श्री प्रमोद कुमार-
प्रदेश में बढ़ती हुई प्रदूषण की
समस्या के निदान हेतु सुदृढीकरण
का यंत्र लगाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराया गया कि प्रदेश में 578 अति प्रदूषणकारी उद्योगों को चिन्हित किया गया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश में प्रवाहित होने वाली 19 प्रमुख नदियों एवं विभिन्न नालों में अपना उत्प्रवाह निस्तारित करते हैं। वर्तमान में उक्त 578 उद्योगों में से 397 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है तथा मानकों की पूर्ति की जा रही है एवं 114 उद्योग वर्तमान में स्वयं के कारणों से बन्द हैं। शेष 66 उद्योग जो मानकों की प्राप्ति नहीं कर रहे को शुद्धिकरण करने एवं मानकों को प्राप्त करने के निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को द्राप किया।

(दि0 28-1-2011 की कार्यवाही से द्राप)

पर्यावरण

1213/2001 28-5-01 अतारां0-25 कार्यवाही की जायेगी।
श्री राम कुमार एडवोकेट-
प्रश्नगत प्रकरण में कारण बताओ
नोटिस की पुष्टि के सम्बन्ध में।

अवगत कराया कि कानपुर नगर के जाजमऊ क्षेत्र में स्थित अत्यधिक वायु एवं जल प्रदूषणकारी 29ग्लू/मैन्पोर इकाइयों द्वारा शुद्धिकरण की व्यवस्था न किये जाने के कारण इन्हें बन्द करने के आदेश दि0 27-7-2002 में जारी किये गये थे। यह इकाइयां वर्तमान में बन्द हैं। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को द्राप किया।

(दि0 28-1-2011 की कार्यवाही से द्राप)

1	2	3	4
		पर्यावरण	
1214/2001	28-5-01 अतारां0-26 श्री राम कुमार एडवोकेट- प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित उद्योगों को दिये गये कारण बताओ नोटिस की पुष्टि के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	आश्वासन सं0 1213/2001 से सम्बद्ध। (दि0 28-1-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		पर्यावरण	
651/2005	2-1-06 तारांकित-1 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- पालीथीन के प्रयोग से फैल रहे प्रदूषण के निराकरण के लिये इकाइयों का पंजीकरण कराया जाना।	हम प्रयास करेंगे।	अवगत कराया कि इसमें 143 इकाइयां हैं जो बोर्ड द्वारा पंजीकृत करा ली गई हैं और इसमें एक एक्ट भी बना है जिसे लागू किया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 28-1-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		पर्यावरण	
73/2006	अल्पसूचित तारांकित प्रश्न- डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- शहरों में अवासीय क्षेत्र में स्थापित प्लास्टिक इकाइयों को बन्द किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि प्रदेश में 281 प्लास्टिक इकाइयों को चिन्हित किया गया है जिसमें से 143 इकाइयों को रजिस्टर्ड कर लिया गया है। बाकी 123 बन्द हैं। समिति ने विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 28-1-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

पर्यावरण

250/2008 10-3-08 अतारांकित-183 यथाशीघ्र।
श्री राम विशुन आजाद-
जनपद गोण्डा के बजाज शुगर
मिल, कुन्दरखी का प्रदूषित जल
चमदई नदी में आने के कारण
संक्रामक रोगों के फैलने के
सम्बन्ध में जांच एवं कार्यवाही
किया जाना।

अवगत कराया कि मै0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड
इण्डस्ट्री लि0 कुदरकी, गोण्डा में ई0टी0पी0 की समस्त इकाइयां
स्थापित हैं। तथा प्रवाह में प्रचालकों की मात्रा बोर्ड के मानकों के
अनुरूप पाई गई। बीमारी से ग्रसित होने के सम्बन्ध में सूचना
शिकायत वर्तमान में नहीं हैं। समिति ने विभागीय आख्या से
संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 28-1-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
---	---	---	---

नगर विकास विभाग

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
		नगर विकास-1	
723/99	12-3-99 अतारां0-94 श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना- नगर पंचायत निवाड़ी गाजियाबाद द्वारा नीलाम की गई जमीन की जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि इस प्रकरण में पुनः जांच कराई गई। पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई है जो ए0सी0जी0एम0 की कोर्ट में लम्बित है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 19-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		नगर विकास-1	
112/2000	13-3-2000 अतारां0-86 श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना- जिलाधिकारी, गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट में दोषी पाये गये अध्यक्ष, नगर पंचायत निवाड़ी श्रीमती शिमला त्यागी तथा चपरासी श्री सुरेन्द्र सिंह के विरुद्ध जांच।	कार्यवाही की जा रही है।	आश्वासन संख्या 723/99 से सम्बद्ध (दि0 19-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		नगर विकास-7	
391/2000	27-4-2000 नियम-51 श्री संजय गर्ग- नगरपालिका परिषद् सहारनपुर को नगर निगम का दर्जा देने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	अवगत कराया गया है कि नगरपालिका परिषद् सहारनपुर को नगर निगम घोषित किया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को पूर्ण माना। (दि0 10-3-2011 की कार्यवाही से पूर्ण)

1	2	3	4
नगर विकास-5			
394/2000	28-4-2000 तारां0-2 डा0 सरजीत सिंह डंग- सरफेस वाटर से जलापूर्ति किये जाने हेतु गोकुल एवं गंगा तथा आगरा बैराज से जलापूर्ति के सम्बन्ध में।	विचार किया जायेगा।	अवगत कराया गया है कि कानपुर में मेगा बैराज बनाकर नगर को पेयजल आपूर्ति हेतु योजना क्रियान्वित की जा चुकी है। शोधन संयंत्र निर्मित किया जा चुका है। आगरा में गंगा जल योजना लागू है। सतही जल स्रोत आधारित 30 योजनायें क्रियाशील की गई हैं। गाजियाबाद, बुन्देलखण्ड के महोबा व कर्बी नगरों में सतही जल स्रोत आधारित अन्य योजनायें निर्माणाधीन हैं। इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है। समिति ने विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 10-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
नगर विकास-5			
395/2000	28-4-2000 तारां0-5 श्री अम्बरीष कुमार तथा जगदम्बिका पाल- महानगरों के निवासियों हेतु शुद्ध पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि जे0एन0एन0 यू0आर0एम0 में पेयजल योजना को प्राथमिकता दिया गया है। बड़े तथा छोटे शहरों में भी यह योजना चल रही है। समिति विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 10-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-5

396/2000 28-4-2000 औचित्य का प्रश्न कार्यवाही की जायेगी।
श्री श्यामदेव राय चौधरी-
नगरीय क्षेत्र के विधायकों के क्षेत्रों
में हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था के
सम्बन्ध में।

अवगत कराया गया है कि नगरीय विधान सभा क्षेत्रों में 1000 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु 211.38 लाख की धनराशि शामिल थी, उक्त धनराशि से 20 विधान सभा क्षेत्रों में 964 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापित कराये गये। वाराणसी उत्तरी क्षेत्र के अवशेष 36 नग हैण्डपम्पों के विरुद्ध एक मिनी नलकूप का निर्माण कराया गया। समिति ने विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को पूर्ण माना।

(दि0 10-3-2011 की कार्यवाही से पूर्ण)

नगर विकास-6

401/2000 28-4-2000 अतारां0-19 कार्यवाही की जा रही है।
डा0 कौशल किशोर-
लखीमपुर में सड़क को क्रास करने
वाली नदियों को ढकने वाले टूटे
हुए पत्थरों को बदलने की
कार्यवाही।

अवगत कराया गया है कि टूटे पत्थरों को ठीक करा दिया गया है। समिति ने विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को पूर्ण माना।

(दि0 10-3-2011 की कार्यवाही से पूर्ण)

1	2	3	4
		नगर विकास-3	
402/2000	28-4-2000 अतारां0-20 श्री मुरलीधर- जल निगम फतेहपुर के अधिशासी अभियन्ता एवं इलाहाबाद के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की गई अनियमितताओं की टी0ए0सी0 द्वारा की गई जांच एवं जांच आख्या पर कार्यवाही।	जांच कराई जा रही है।	अवगत कराया गया है कि टी0ए0सी0 की जांच में कोई दोष सिद्ध नहीं पाया गया। समिति ने उक्त से सहमत होकर आश्वासन को पूर्ण माना। (दि0 10-3-2011 की कार्यवाही से पूर्ण)
		नगर विकास-9	
404/2000	28-4-2000 तारां0-35 श्री मूलचन्द्र चौहान- नगर परिषद् धामपुर व नहतौर में जर्जर हो गये मार्गों की मरम्मत निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	कराया जा रहा है।	अवगत कराया गया है कि धानापुर एवं नहतौर में जर्जर मार्गों का मरम्मत/निर्माण करा दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को पूर्ण माना। (दि0 10-3-2011 की कार्यवाही से पूर्ण)

नगर विकास-1

408/2000 28-4-2000 अतारां0-58
श्री रामतेज यादव-
नगर पंचायत बिल्थरा रोड बलिया
के अध्यक्ष को हटाये जाने एवं
वित्तीय अधिकार सीज करने के
सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय
इलाहाबाद के आदेश दिनांक
23-8-99 के अनुपालन में जांच
की कार्यवाही।

जांच कराई जा रही है।

अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम,
1961 की धारा-81 के प्राविधानों के अनुसार वर्तमान में अध्यक्ष
के खिलाफ कोई कार्यवाही कालबाधित होने के कारण नहीं की जा
सकती है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप
किया।

(दि0 19-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-5

411/2000 28-4-2000 अतारां-118
डा0 कौशल किशोर-
शहर लखीमपुर की नई आबादी
हेतु शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु
कार्यवाही।

कार्य प्रस्तावित है।

अवगत कराया गया है कि इसमें नलकूप जलाशय बन गये
हैं। समिति ने उक्त पर संतोष प्रकट करते हुए आश्वासन को
ड्राप किया।

(दि0 19-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
नगर विकास-1			
412/2000	28-4-2000 अतारां-122 श्री रमेश राही- वर्ष 1997 से अप्रैल, 1999 के मध्य सीतापुर शहर में कुल लेपन कार्य करवाये 10 मार्गों में से 5 मार्गों के क्षतिग्रस्त हो जाने की जांच में पाये जाने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	अवगत कराया गया है इसमें दोषी पाये गये ठेकेदार और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर ली गई है तथा पुनर्निर्माण की कार्य भी पूर्ण कराया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 19-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
नगर विकास-9			
413/2000	28-4-2000 अतारां-135 श्री मूलचन्द्र- नगर परिषद् धामपुर बिजनौर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण की कार्यवाही।	आदेश दे दिये गये हैं।	अवगत कराया गया है कि सड़क का निर्माण कराया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 19-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-9

421/2000 28-4-2000 अतारां-168
श्री राम औतार शाक्य-
नगरपालिका मैनपुरी में की गई
अनियमितता के सम्बन्ध में
प्रश्नकर्ता के पत्र सी0एम0/
वि0को0/एम-2/मैनपुरी/99
दिनांक 5-10-99 की जांच
आख्या पर कार्यवाही।

आख्या मांगी गई है।

अवगत कराया गया है कि माननीय विधायक जी के पत्र पर कार्यवाही की गई और वह टेका निरस्त कर दिया गया तथा दूसरा टेका दिया गया जिसे कमिश्नर द्वारा एप्रूव किया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 19-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-1

593/2001 11-5-01 अतारां-70
श्री बादशाह सिंह-
नगर पंचायत खड्डा कुशीनगर के
अध्यक्ष द्वारा वर्ष 1995 में अवैध
एवं नियम विरुद्ध लिये गये यात्रा
भत्ता की धनराशि को वापस लेकर
जमा कराने के संबंध में।

निर्गत किया गया है।

अवगत कराया गया है कि इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष से वसूली के आदेश हो गये हैं लेकिन उन्होंने माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। इस प्रकरण से सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी को भी एडवर्स इन्ट्री दे दी गई है। समिति ने इस संस्तुति के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि मा0 न्यायालय का जो आदेश होगा, विभाग इसके अनुसार कार्यवाही करेगा।

(दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
नगर विकास-4			
594/2001	11-01 अतारां-73 श्री शिव सिंह चक- श्रीमती कपूर के पेंशन आदि के सम्बन्ध में निदेशक स्थानीय निकाय को दिये गये निर्देश के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।	निर्देश दिये गये हैं।	अवगत कराया गया है कि इसमें सभी देयों का भुगतान किया जा चुका है। अब कोई देय बाकी नहीं है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को द्राप किया। (दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से द्राप)
नगर विकास-5			
595/2001	11-5-01 अतारां-74 श्री शिव सिंह चक- तेलीबाग में लगे हैण्डपम्प के रि-बोर तथा नेपालगंज के खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत कराकर शीघ्र चालू किये जाने के सम्बन्ध में।	यथाशीघ्र चालू करा दिया जायेगा।	अवगत कराया गया है कि इसमें सभी हैण्डपम्पों को ठीक करा कर चालू करा दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को पूर्ण माना। (दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से पूर्ण)

नगर विकास-4

597/2001	11-5-01 अतारां-80 श्री रिफाकत हुसैन- अनियमित भुगतान के सन्दर्भ में अधिशायी अधिकारी नगरपालिका परिषद् दादरी के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही।	निर्णय लिया जायेगा।	अवगत कराया गया है कि इसमें संबंधित अधिकारी द्वारा भुगतान का जो प्रोसीजर था उसका पालन नहीं किया गया। इस अनियमितता के लिये अधिशायी अधिकारी नगरपालिका परिषद् दादरी के विरुद्ध जांच करा कर वृहद दण्ड जिसमें दो वेतन वृद्धियां रोकने तथा परिनिन्दा प्रविष्टि का दण्ड दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को द्राप किया। (दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से द्राप)
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

नगर विकास-7

599/2001	11-5-01 अतारां-102 श्री राजेन्द्र यादव- राजाजीपुरम् के सेक्टर-10 एवं 13 के बीच से निकलती हुए टैम्पो स्टैण्ड को जाकर मोहन रोड में मिलने वाली रोड पर मरकरी लाइट लगाने के सम्बन्ध में।	धन की उपलब्धता के आधार पर।	अवगत कराया गया है कि इसमें 65 सोडियम लाइट लगाने का काम पूरा हो चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को पूर्ण माना। (दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से पूर्ण)
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	2	3	4
नगर विकास (आवास-3 से)-7			
600/2001	11-5-01 अतारां-106 श्री शिशु पाल सिंह यादव- श्री पंचम लाल पुत्र श्री घसीटे मकान नं0 14/225 नई बस्ती पुराना वर्फखाना लखनऊ के किरायेदार द्वारा किया गया अवैध कब्जा एवं निर्माण हटवाने की कार्यवाही।	जी हां।	अवगत कराया गया है कि इसमें 20-9-2009 को अवैध निर्माण ध्वस्त करा कर अवैध कब्जा हटा दिया गया है। वर्तमान में कोई अवैध निर्माण/कब्जा नहीं है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
नगर विकास-5			
132/2002	16-8-02 नियम-51 श्री सुरेश कुमार खन्ना- नगरीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे के कारण उत्पन्न पेयजल समस्या के निराकरण हेतु आपदा राहत से निधि से 35 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कराके पेयजल की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि इसमें पेयजल समस्या का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। समिति ने पत्र दिनांक 15-9-2011 का संज्ञान लेकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 19-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-7

166/2004 26-7-04 अतारां-71
श्री राधेश्याम जायसवाल-
लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र
पूरननगर तिराहे मुकेश डिपार्टमेंटल
स्टोर से मानक नगर रेलवे स्टेशन
एवं श्यामनगर आर0डी0एस0ओ0
गेट से मानकनगर रेलवे स्टेशन
तक अवैध निर्माण हटाया जाना।

कार्यवाही की जायेगी।

अवगत कराया गया है कि इसमें समय-समय पर अभियान
चला कर अतिक्रमण हटा दिया गया है। समिति ने विभागीय
आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 10-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-2

434/2004 09-11-04 नियम-51
श्री मदन चौहान-
जनपद गाजियाबाद से गढ़मुक्तेश्वर
ब्रजघाट में गंगा के किनारे शवदाह
स्थल का सुधार एवं सौन्दर्यीकरण
कराये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही की जायेगी।

अवगत कराया गया है कि गंगा के किनारे शवदाह स्थल के
सुधार एवं सौन्दर्यीकरण हेड शमशान घाट पर कैम्पस का निर्माण
कराया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन
को ड्राप किया।

(दि0 19-09-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-2

260/2005 7-3-05 अतारां-122
श्री सुरेश कुमार खन्ना-
शाहजहांपुर नगरपालिका परिषद् के
अन्तर्गत आने वाले पांच बड़े
नालों की सफाई कराया जाना।

करा दी जायेगी।

अवगत कराया गया है कि इसमें अभियान चला कर सभी
नालों की सफाई कराई जा चुकी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट
होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 19-09-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
नगर विकास-5			
179/2005	16-7-2007 तारांकित-1 श्री श्यामदेव राय चौधरी- जनपद वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में नागरिकों को मानक के अनुरूप देय जलापूर्ति की योजना पर विचार।	जी हां।	अवगत कराया गया है कि इसमें जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत 140 करोड़ रुपये की योजनायें भारत सरकार को भेजी गई थी और तीन योजनायें स्वीकृत हुईं, इन तीनों योजनाओं में कार्य पूर्ण हो चुका है, इसमें बनारस क्षेत्र की जलापूर्ति की समस्या काफी हद तक पूरी हो चुकी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 27-08-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
नगर विकास (गंगा सेल)			
254/2007	5-11-07 अतारांकित-26 श्री पूरन प्रकाश- मानसी गंगा गोवर्धन की सफाई/ सौन्दर्यीकरण कराया जाना।	कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।	अवगत कराया गया है कि इसमें राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मानसी गंगा ताला, गोवर्धन (मथुरा) की प्रदूषण नियंत्रण एवं रिवाइवल योजना में कुल धनराशि रु0 1317.29 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। योजनान्तर्गत सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण, राइजिंग मेन का कार्य, स्वच्छ शौचालयों के निर्माण, सीवर लाइन बिछाने का कार्य तथा ताल के पानी के डायलूशन एवं फ्लाशिंग संबंधी कार्य प्रस्तावित है जिसमें 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। धनराशि प्राप्त होने पर अवशेष कार्य पूर्ण करा लिये जायेंगे। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में समिति ने आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-1

255/2007	5-11-07 अतारांकित-27 श्री पूरन प्रकाश- जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन में लगने वाले पूर्णिमा मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	अनुरोध किया गया है।	अवगत कराया गया है कि इसको राजकीय मेले का दर्जा दे दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 27-8-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
नगर विकास-1			
263/2007	5-11-07 अतारांकित-68 श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल- जनपद सिद्धार्थनगर में उस्का बाजार को टाउन एरिया बनाया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि दिनांक 31 जुलाई, 2009 को इसे नगर पंचायत घोषित कर दिया गया है। समिति ने आश्वासन को पूर्ण माना। (दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से पूर्ण)
नगर विकास-7			
268/2007	5-11-07 अतारांकित-100 श्री राम विशुन आजाद- लखनऊ में कानपुर रोड स्थित बजरंगनगर (कृष्णनगर) के पहली गली में मकान नम्बर 30 से 35 के सामने की सड़क को बनाया जाना।	जी हां।	अवगत कराया गया है इसमें सड़क का निर्माण अप्रैल, 2008 में पूर्ण कर लिया गया है। समिति ने आश्वासन को पूर्ण माना। (दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से पूर्ण)

1	2	3	4
		नगर विकास-7	
368/2008	21-8-08 नियम-51 श्री संजीव दरियावादी- जनपद कानपुर में सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है इसमें अतिक्रमण हटवा दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 19-09-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		नगर विकास-9	
80/2008	3-8-09 अतारांकित-24 श्री अनुग्रह नारायण सिंह- प्रदेश के नगर निगमों में होर्डिंग्स/ विज्ञापन आदि लगाये जाने के सम्बन्ध में नियमावली प्रख्यापित कराकर कार्यवाही किया जाना।	नियमावली प्रस्तावित है।	अवगत कराया गया है इसमें उ0प्र0 नगर निगम (विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली, 2009 दिनांक 24-12-2009 द्वारा प्रख्यापित की जा चुकी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को पूर्ण माना। (दि0 10-3-2011 की कार्यवाही से पूर्ण)
		नगर विकास-9	
82/2009	3-8-09 अतारांकित-57 श्री श्यामदेव राय चौधरी- जनपद वाराणसी के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में बरसाती पानी के निकासी हेतु कार्य योजना लागू करके कार्यवाही किया जाना।	जी हां।	अवगत कराया गया है जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण वाराणसी नगर निगम क्षेत्र जिसमें वाराणसी दक्षिण भी शामिल है, वर्षा के जल निकासी की योजना बनाई गई है। यह योजना सी0एस0एम0सी0 की बैठक में स्वीकृत हो चुकी है तथा 25 प्रतिशत धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है। योजना का कार्य 12-4-2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। समिति ने विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 10-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-7

16/2010 1-2-2010 अतारांकित-3 जी हां।
श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-
लखनऊ शहर के इन्दिरानगर ए
ब्लाक 1103/16 के सामने बने
पार्क को सुअरों से मुक्त कराने के
सम्बन्ध में।

अवगत कराया गया है इसमें कैटिल कैचिंग विभाग द्वारा
1 अप्रैल, 2010 से 15 अप्रैल, 2010 तक छुट्टा सुअरों को
पकड़वाने हेतु अभियान चलाया गया। पार्क के आस पास 10 तथा
नगर सीमा के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों से 66 सुअरों को
पकड़वाकर काजीहाउस में बन्द कराया गया। सुअर पालकों को
सुअरों को नगर निगम सीमा के बाहर ले जाने हेतु 04-08-2010
एवं 18-8-2010 को नोटिस प्रेषित किया गया। समिति ने उक्त
के परिप्रेक्ष्य में आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-5

17/2010 1-2-2010 अतारांकित-11 जी हां।
चौ0 रवीन्द्र प्रताप-
जनपद इलाहाबाद के पुराना
बेरहना के न्यू लक्शर लाइन में
वर्फ खाने वाली गली में क्षमता के
अनुसार सीवर लाइन डालने के
सम्बन्ध में।

अवगत कराया गया है इसमें जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के
अन्तर्गत स्वीकृत इलाहाबाद सीवरेज डिस्ट्रिक्ट 'डी' की योजना,
अनुमानित लागत रु0 355.98 करोड़ सम्मिलित है। जल निगम
से आई0आई0टी0 से परामर्श प्राप्त किया जा रहा है। परामर्श
प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। समिति ने आश्वासन
को ड्राप किया।

(दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
		नगर विकास-7	
18/2010	1-2-2010 अतारांकित-13 श्री आरिफ अनवर हाशमी- जनपद लखनऊ के (दौलतगंज) मुहल्ला सज्जादगंज में सीवर डालने से क्षतिग्रस्त पक्की सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।	प्रक्रियाधीन है।	अवगत कराया गया है क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक करा दिया गया है। समिति ने आश्वासन को पूर्ण माना। (दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से पूर्ण)
		नगर विकास-9	
19/2010	1-2-2010 अतारांकित-16 श्री विशम्भर प्रसाद निषाद- नगरपालिका परिषद् चित्रकूट के नगर पंचायत क्षेत्र में राष्ट्रीय मार्गों से प्रवेश करने वाले वाहनों से अवैध तहबाजारी वसूली सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 21-5-09 पर कार्यवाही।	निर्देश दिये गये हैं।	अवगत कराया गया है जनपद में किसी भी नगर निकाय क्षेत्र (न0पा0 परि0/न0पा0) में राष्ट्रीय राजमार्गों से प्रवेश करने वाले वाहनों से तहबाजारी की वसूली नहीं की जा रही है। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-3

243ए/2010 9-8-2010 अतारांकित-161 आदेश दिये गये हैं।
श्री जावेद अंसारी-
श्री सलमान अंसारी की विधवा
श्रीमती तसनीम फात्मा का रोके
पेंशन का भुगतान।

अवगत कराया गया है इसमें पूरा भुगतान रु0 70543.00
का करा दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर
आश्वासन को पूर्ण माना।
(दि0 10-3-2011 की कार्यवाही से पूर्ण)

1	2	3	4
---	---	---	---

वन विभाग

60

1

2

3

4

1	2	3	4
		वन-4	
298/2010	13-8-2010 तारांकित-07 डा0 अनिल चौधरी- राज्य वन्य जीव में राज्य पुष्प के चयन पर विचार।	प्रस्ताव रखा जायेगा।	अवगत कराया गया है 'पलाश' (ढाक) को उत्तर प्रदेश राज्य का 'राज्य पुष्प' घोषित कर दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 18-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
---	---	---	---

आवास एवं शहरी नियोजन

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
आवास एवं शहरी नियोजन-1			
313/2008	20-8-08 अतारांकित-54 डा0 धर्मपाल सिंह- आगरा शहर में यमुना किनारा मार्ग को एलीबेटिड रोड बनाया जाना।	कार्यवाही प्रगति में है।	अवगत कराया गया कि कन्सलटेन्ट द्वारा परीक्षणोपरान्त फिजिविलिटी के आधार पर प्रस्तावित तकनीकी विकल्पों के आधार पर यमुना किनारे रोड को एलीबेटिड रोड बनाया जाना सम्भव नहीं है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 18-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
आवास एवं शहरी नियोजन-1			
152/2010	10-2-2010 अतारांकित-111 श्री यशपाल सिंह- जनपद महामायानगर के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् सिकन्दरामऊ, नगर पंचायत पुरदिल व नगर पंचायत में भूमि के अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही।	निर्देशित कर दिया गया है।	अवगत कराया गया है कि नगर पालिका परिषद् सिकन्दरामऊ की सीमा में नजूल भूमि में 24 टुकड़ों पर अवैध कब्जा था। इसमें एफ0आई0आर0 दर्ज करके पी0जी0 ऐक्ट में कार्यवाही की जा रही है। इसमें मुकदमा कायम हो गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 18-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
---	---	---	---

लघु सिंचाई विभाग

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
लघु सिंचाई-2			
526/2000	3-5-2000 अतारां0-184 श्री अजय कुमार पोइया- श्री वीरेन्द्र सिंह यादव अवर अभियन्ता विकास खण्ड नोह झील मथुरा द्वारा वर्ष 1995-96, 96-97 तथा 1997-98 में किये गये कार्यों की जांच के सम्बन्ध में।	निर्गत किये जा चुके हैं।	अवगत कराया गया है कि इसमें कुल रु0 15598.00 की वसूली के आदेश दिये गये थे जिसमें श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता से रु0 6259.00 बोरिंग टेक्नीशियन एवं सहायक बोरिंग टेक्नीशियन से रु0 9339.00 की वसूली की जा चुकी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 26-7-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
---	---	---	---

श्रम विभाग

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
श्रम-3			
649/2000	10-5-2010 वक्तव्य श्री श्रीराम पाल- मे0 शिवम ब्रिक फील्ड गौरी सज्जन भोगनीपुर कानपुर तथा मे0 जी0एस0 ब्रिक फील्ड उझियानी इटावा द्वारा क्रमशः श्री शिव नारायण, श्री श्याम नारायण, श्री ओंकार तथा श्री विनोद द्वारा की गई मजदूरी के देयों के भुगतान के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि इसमें उनको पूरा भुगतान कर दिया गया है तथा संबंधित समीक्षा अधिकारी को चेतावनी जारी की गई है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को द्राप किया। (दि0 30-5-2011 की कार्यवाही से द्राप)
श्रम विभाग-4			
227/2005	11-3-05 नियम-51 श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव- सहायक कारखाना निदेशकों की ज्येष्ठता निर्धारित किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि इसमें आपत्तियों का निर्धारण करने के बाद ज्येष्ठता सूची पूरी हो गई है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को द्राप किया। (दि0 30-5-2011 की कार्यवाही से द्राप)

1	2	3	4
		श्रम-3	
702/2005	17-2-06 अतारां0-21 श्री श्यामदेव राय चौधरी- न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल/ त्रिदलीय समिति की सलाह के अनुसार न्यूनतम वेतन लागू करने हेतु अधिसूचना जारी किया जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	अवगत कराया गया है कि प्रदेश के 59 अधिसूचित नियोजनों (जिसमें सिनेमा नियोजन भी सम्मिलित है) में नियोजित कर्मचारियों/श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी पुनर्निर्धारित करते हुए अधिसूचना दिनांक 24-2-2006 निर्गत कर दी गई है। समिति ने उक्त पर संतोष प्रकट करते हुए आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 30-5-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		श्रम-4	
726/2005	17-2-06 नियम-56 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- श्रम विभाग के सहायक श्रम आयुक्त श्री सुनील कुमार के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच।	जांच की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि श्री सुनील कुमार सहायक श्रमायुक्त एवं उनकी टीम के विरुद्ध लगाये गये आरोप आधारहीन/बलहीन पाये जाने के कारण उन पर सिद्ध नहीं पाये गये तथा प्रकरण को सम्यक् विचारोपरान्त निक्षेपित कर दिया गया। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 30-5-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		श्रम-1	
202/2010	15-2-2010 नियम-56 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- प्रतापगढ़ में पट्टी से दीवानगंज मार्ग पर पड़ने वाले ईट भट्टों पर बंधुआ मजदूरी एवं अवैध गतिविधियों को रोकने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि इसमें जांच कराई गई जांच में यह पाया गया कि बंधुआ मजदूर और बाल श्रमिक उसमें नहीं हैं लेकिन जो पेपर्स पूरे होने चाहिये थे वे कम्प्लीट नहीं थे इसलिये इस बिन्दु पर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 30-5-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

विकलांग कल्याण विभाग

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
		विकलांग कल्याण-2	
620/90	29-6-90 अतारां0-47 कुंवर रेवती रमण सिंह- प्रदेश के विकलांगों को पेंशन में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि उस समय विकलांगों को पेंशन के रूप में मात्र 60 रुपये मिलते थे जिसे बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया। वर्ष 1999 में 100 से बढ़ाकर 125 वर्ष 2005 में 150 तथा वर्ष 2007 में इसे बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। समिति ने उक्त से सहमत होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		विकलांग कल्याण-2	
475/92	23-4-92 तारां0-2 श्री राम प्रसाद सिंह- जनपद बांदा के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांगों को पेंशन अनुदान उनके घर पर ही देने की व्यवस्था किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि सभी विकलांग पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते खुलवा दिये गये तथा कोषागार से आहरित की गई धनराशि सीधे विकलांग पेंशन लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाने की व्यवस्था कर दी गई है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
		विकलांग कल्याण-2	
676/92	20-10-92 तारां0-7 श्री बंशीधर राज- जनपद फैजाबाद तहसील अकबरपुर के ग्राम लोरपुर की निवासिनी श्रीमती नूरजहां को धन स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी पत्र।	खोजबीन की जा रही है।	अवगत कराया गया है कि श्रीमती नूरजहां का प्रार्थना-पत्र सिलाई मशीन दिये जाने के संबंध में था, यह योजना पहाड़ी क्षेत्र के लिये थी, मैदानी क्षेत्र के लिये यह योजना नहीं थी। इस लिये इन्हें सहायता दिया जाना सम्भव नहीं हो सका। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		विकलांग कल्याण-3	
232/95	1-8-95 तारां0-14 श्री अजय कुमार पोड़्या- सरकारी सेवक के सेवाकाल में पूर्ण शारीरिक विकलांगता हो जाने पर उसके आश्रित को सेवा में लिये जाने पर विचार।	निर्णय लिया जायेगा।	अवगत कराया गया है कि विकलांग कर्मियों के आश्रितों को सेवा में लिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है क्योंकि निःशक्तजन के सेवा से पृथक किये जाने का प्राविधान नहीं है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		विकलांग कल्याण-3	
224/98	24-6-98 तारां0-139 श्री कृष्ण चन्द्र पुनेटा- राज्य में विकलांग जन एक्ट 1995 के प्राविधान के तहत विकलांग जन आयुक्त की नियुक्ति।	कार्यवाही की जा रही है।	अवगत कराया गया है कि आयुक्त विकलांगजन कार्यालय की विधिवत् स्थापना हो गई है और स्टाफ की भी नियुक्ति हो गई है। समिति ने विभागीय साक्ष्य का संज्ञान लेकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

विकलांग कल्याण-1

810/98 22-7-98 तारां0-2
श्री चन्द्रनाथ सिंह-
इलाहाबाद के राजकीय विकलांग
निदेशालय के जर्जर भवन को
दृष्टिगत रखते हुए किसी अन्य
किराये के भवन लेने के सम्बन्ध
में।

निर्णय लिया जायेगा।

अवगत कराया गया है कि इलाहाबाद में विकलांग निदेशालय
का भवन जर्जर होने के कारण अन्य भवन को किराये पर लेकर
वर्ष 1999 में स्थानान्तरित किया जा चुका है। समिति ने उक्त से
संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

विकलांग कल्याण-3

32/99 10-2-99 अतारां0-116
श्री धर्मज्ञ मिश्र-
प्रदेश में अपंग एवं विकलांगों हेतु
राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास
निगम की रोजगार पूरक योजनाओं
के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दिये
जाने की कार्यवाही।

कार्यवाही की जा रही है।

अवगत कराया गया है कि वर्ष 1999 से चलाई गई इस
योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायत दुकानें
निर्माण, पुनर्वास, रोजगार आदि के लिये दी जाती है। वर्ष 2005
में एक अतिरिक्त योजना यू0पी0एफ0सी0 के माध्यम से चलाई जा
रही है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप
किया।

(दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

विकलांग कल्याण-3

508/2000 3-5-2000 अतारां0-111
श्री कृष्ण चन्द्र पुनेटा-
न्यायालय विकलांग जन आयुक्त
के कार्यालय में रिक्त पदों को भरे
जाने की कार्यवाही।

कार्यवाही की जायेगी।

अवगत कराया गया है कि कार्यालय-ज्ञाप दिनांक
18-9-1998 द्वारा सभी पदों को भर दिया गया है। समिति ने
उक्त का संज्ञान लेकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
विकलांग कल्याण-1			
460/2001	<p>9-5-2001 तारां0-16 श्री श्यामदेव राय चौधरी- केन्द्र सरकार द्वारा सहायतित विकलांगजन पुनर्वासन कार्यक्रम कम्पोजिट रीजनल रिहेलीटेशन सेंटर की स्थापना ग्रामीण पुनर्वास स्पाइनल इंजरी सेंटर आदि योजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।</p>	कार्यवाही प्रगति में है।	<p>अवगत कराया गया है कि यह योजना मुख्यतः ग्रामीण पुनर्वासन के लिये चलाई गई थी। भारत सरकार ने इस योजना को समाप्त कर दिया है। राज्य के संसाधनों को देखते हुए इसे चलाना सम्भव नहीं हो सका। समिति ने विभागीय साक्ष्य से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)</p>
विकलांग कल्याण-1			
200/2005	<p>2-3-05 अतारां0-24 डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल- प्रदेश में कार्यरत दृष्टिबाधित, मूकबधिर, अक्षम तथा मानसिक विद्यालयों के शिक्षकों को वेतनमान दिया जाना।</p>	विचाराधीन है।	<p>अवगत कराया गया है कि सभी विद्यालयों के शिक्षकों का वेतनमान पुनरीक्षित किया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)</p>

विकलांग कल्याण-2

595/2005	23-11-05 अतारां0-22 श्री संजीव दरियावादी- श्रीमती अमरता धर्मपत्नी पांचू, निवासिनी देवीपार सल्टउवा, थाना गोविन्दनगर, जिला बस्ती की पुत्री श्रीमती सीतापती (पूर्ण विकलांग) को जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	अवगत कराया गया है कि श्रीमती सीतापति को पेंशन वर्ष 2006 से स्वीकृत की जा चुकी है और उन्हें नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

विकलांग कल्याण-2

40/2006	23-8-2006 अतारां0-8 श्री श्यामदेव राय चौधरी- जनपद वाराणसी में पात्र विकलांग व्यक्तियों को चयनित करके अनुमन्य पेंशन दिया जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	अवगत कराया गया है कि इसमें 2006-07 में कुल 8695 प्राप्त आवेदन-पत्रों में से 7385 पूर्ण एवं पात्र आवेदकों को समयान्तर्गत विकलांग पेंशन स्वीकृत कर दी गई हैं तथा वर्ष 2010-11 में 14764 विकलांगों को पेंशन स्वीकृत की गई। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	2	3	4
---	---	---	---

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश
व्यापार विभाग

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
		कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार-1	
1/2010	28-1-2010 : तारांकित-8 श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा- प्रदेश की कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में उचित तौल/माप हेतु इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाने के सम्बन्ध में।	जी हां।	अवगत कराया गया कि प्रदेश में 95 नग इलेक्ट्रॉनिक कांटा विभिन्न मण्डी स्थलों पर स्थापित हो गये हैं और कार्य कर रहे हैं साथ ही 69 नगर वे-ब्रिजेज का कार्य प्रगति पर है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 26-7-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार-1	
4/2010	28-1-2010 : अतारांकित-31 श्री छत्रपाल सिंह गंगवार- प्रदेश की मण्डी समितियों के अवशेष संवर्ग के कर्मियों को छटा प्रस्ताव वेतनमान दिया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ मण्डी समितियों के कर्मियों को मिल रहा है। समिति ने उक्त पर संतोष व्यक्त करते हुए आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 26-7-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार-1	
286/2010	12-8-2010 : अतारांकित-82 श्री आलोक कुमार शाक्य- जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में वर्ष 2010-11 में आग से गेहूं की फसल नष्ट होने की क्षतिपूर्ति विषयक।	कार्यवाही की जा रही है।	अवगत कराया गया कि इसमें 13 दावेदार काशतकारों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर दी गयी है। समिति ने उक्त पर संतोष व्यक्त करते हुए आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 26-7-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
---	---	---	---

पशुधन विभाग

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
172/2010	<p>11-2-2010 : अतारंकित-151 चौ० सत्येन्द्र सोलंकी- सूखा ग्रस्त घोषित जनपद हरदोई में निःशुल्क पशु चिकित्सा टीकाकरण का लाभ न दिये जाने की जांच कराकर कार्यवाही किया जाना।</p>	<p>आख्या मांगी गयी है।</p>	<p>पशुधन-2</p> <p>अवगत कराया गया कि जनपद के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के पशुपालकों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पशुओं के उपचार एवं टीकाकरण के लिए ली जाने वाली लेबी दिनांक 31-3-2010 तक के लिए माफ कर दी गयी थी। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि० 29-8-2011 की कार्यवाही से ड्राप)</p>

1	2	3	4
---	---	---	---

गृह (पुलिस)

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-9	
770/99	15-3-99 : अतारांकित-66 श्री छोटे लाल गंगवार- संयुक्त निदेशक, अभियोजन के रिक्त पदों पर नियुक्तियां।	कार्यवाही की जा रही है।	अवगत कराया गया कि वर्ष 1999 में जो पद रिक्त थे वह सभी भरे जा चुके हैं। समिति ने शासन के पत्र दिनांक 24-3-2011 का संज्ञान लेकर आश्वासन को पूर्ण माना। (दि0 28-3-2011 की कार्यवाही से पूर्ण)
		गृह (पुलिस)-1	
795/99	15-3-99 : अतारांकित-166 श्री ओमकार यादव- एस0आई0 श्री एस0एम0आर0 रिजवी, बदायूं के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि इसमें जांचोपरान्त श्री एस0एम0आर0 रिजवी को परिनिन्दा प्रविष्टि का दण्ड प्रदान किया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
		गृह (पुलिस)-4	
1045/99	22-3-99 : अतारांकित-30 श्री कृपा शंकर सिंह- मु0अ0सं0 176/98 एवं 177/98 थाना बिहार (उन्नाव) की पुनर्विवेचना की कार्यवाही।	विवेचना की जा रही है।	अवगत कराया गया कि यह प्रकरण उन्नाव जनपद से सम्बन्धित है। इसमें दो मुकदमों 176/98 एवं मु0सं0 177/98 कायम हुए थे। मु0सं0 176/98 में वादी ने अभियुक्तों की चौकी इंचार्ज से सांठ-गांठ का आरोप लगाया था, इसमें न्यायालय में अन्तिम रिपोर्ट पेश कर दी गयी है। मु0सं0 177/98 मार पीट से सम्बन्धित था इसमें अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में विचाराधीन है। समिति ने विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-4	
1063/99	22-3-99 : अतारांकित-114 श्री राम सिंह सैनी- उन्नाव के थाना सोहरा मऊ में पंजीकृत अ0सं0 7/99 धारा-307 आई0पी0सी0 की जांच एवं कार्यवाही के सम्बन्ध में।	विवेचना कराई जायेगी।	अवगत कराया गया कि मु0अ0सं0-194/98 में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था कोर्ट ने सुबह के आधार पर दोष मुक्त कर दिया। मु0अ0सं0 07/99 में न्यायालय ने विचारण करते हुए अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		गृह (पुलिस)-1	
1064/99	22-3-99 : अतारांकित-115 श्री अजय भट्ट- अम्बेडकर नगर में स्थानांतरित सब इन्सपेक्टर श्रीमती लालमती द्वारा अपना कार्यभार न ग्रहण करने की जांच।	जांच प्रचलित है।	अवगत कराया गया कि श्रीमती लालमती, महिला मुख्य आरक्षी प्रोन्नति प्राप्त की अनुपस्थिति अवधि दिनांक 24-6-98 से 4-1-99 तक उपार्जित/मेडिकल तथा दिनांक 5-1-99 से 1-2-99 तक 28 दिवस का वेतन भुगतान न किए जाने का आदेश पारित कर दिये गये हैं। विभागीय आख्या के अनुसार समिति ने आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		गृह (पुलिस)-11	
1070/99	22-3-99 : अतारांकित-136 श्री धर्मज्ञ मिश्र- अकबरपुर (कानपुर देहात) निवासी श्री रविकान्त उर्फ नीलू त्रिपाठी की तलाश की कार्यवाही।	निर्देश दे दिये गये है।	अवगत कराया गया कि नीलू त्रिपाठी हाई स्कूल में फेल हो जाने के कारण 1998 में घर से भाग गया था, जो वर्ष 2000 में घर वापस आ गया था, 20 जून, 2011 को उसने आत्म हत्या कर ली थी इसकी सूचना थाने पर दी गयी थी। इसमें अपहरण होना नहीं पाया गया। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 30-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)-12

1073/99 22-3-99 : अतारांकित-141
श्री राम सिंह तथा
श्री प्रीतम राम-
थाना बीसलपुर पीलीभीत में
दिनांक 19-8-98 को पंजीकृत
अपराध सं0-423/98 की
विवेचना।

विवेचना की जा रही है।

अवगत कराया गया कि इसमें विवेचना में साक्ष्य के अभाव में दि0 20-5-1999 को अन्तिम रिपोर्ट लगाकर विवेचना समाप्त कर दी गयी थी। विवेचना पूर्ण हो जाने के कारण समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 30-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)-12

1079/99 22-3-99 : अतारांकित-152
श्री अजय कुमार पोइया-
विधायक कोष्टक के
पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम-3/
17422/मथुरा/98 दिनांक
23-10-98 पर कार्यवाही।

विवेचना प्रचलित है।

अवगत कराया गया कि अपराध सं0-303/98 में कोई अपराध होना नहीं पाया गया। इसलिये फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 30-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
गृह (पुलिस)-12			
63/2001	<p>23-4-01 : अतारांकित-71 श्री तेजभान सिंह- श्री शिवशंकर गुप्ता पुत्र श्री राम प्रकाश गुप्ता, 41, बी, आदर्शनगर फिरोजाबाद द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर मुकदमा दर्ज करने एवं उस पर जांच करने के सम्बन्ध में।</p>	विवेचना प्रचलित है।	<p>अवगत कराया गया कि इसमें पुनर्विवेचना के बाद फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की गई जिसको न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। समिति ने उक्त पर संतोष प्रकट करते हुए आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)</p>
गृह (पुलिस)-4			
363/2001	<p>3-5-01 : नियम-56 श्री कुंवर रेवती रमण सिंह- सेन्चुरी कन्सल्टेन्ट द्वारा किये गये घोटाले की जांच एवं जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही।</p>	कार्यवाही की जायेगी।	<p>अवगत कराया गया कि इसमें सेंचुरी घोटाले में 11 मामले दर्ज हुए यह सारे मामले सी0बी0आई0 के सुपुर्द किये गये। सी0बी0आई0 ने विवेचना के उपरान्त आरोप-पत्र विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां प्रेषित कर दिये गये हैं। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)</p>

गृह (पुलिस)-11

373/2001 3-5-01 : नियम-51
श्री रघुवर दयाल वर्मा-
दिनांक 13-4-01 को श्री कैलाश
चन्द्र वर्मा के अपहरण
मु0अ0सं0-42/2001 तथा दिनांक
25-3-01 को श्री राजू पुत्र
श्री रामदास, नि0 जोदाई के
अपहरण की थाना मटसैना में
दर्ज मु0अ0सं0-32/2001 के
अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा
क्षेत्राधिकारी की जांच रिपोर्ट।

कार्यवाही की जायेगी।

अवगत कराया गया कि इसमें 9 अभियुक्तों को सश्रम
10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रुपया जुर्माना
किया गया तथा शेष को दोषमुक्त किया गया। समिति ने उक्त से
संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)-3

958/2001 18-5-01 : नियम-56
पश्चिमी उ0प्र0 में नकाबपोश द्वारा
की गयी घटनाओं से जनमानस में
व्याप्त भय के सम्बन्ध में जांच
कार्यवाही।

कार्यवाही की जायेगी।

अवगत कराया गया कि इसी विषय पर आश्वासन
सं0-1142/2001 का उत्तर समिति को प्रेषित किया गया था।
समिति ने दिनांक 6-7-2006 की बैठक में इसे पूर्ण मान लिया
था। समिति ने उसी को आधार लेकर इस आश्वासन को भी पूर्ण
माना।

(दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से पूर्ण)

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-4	
968/2001	21-5-01 : तारांकित-2 श्री श्यामदेव राय चौधरी- संचुरी कन्सलटेन्ट लि0 के विरुद्ध मु0अ0सं0-256/2001 से 256डी/2001 तक के अतिरिक्त मु0अ0सं0-256/2001 एवं 256ई/2001 को सी0बी0आई0 से जांच कराने के सम्बन्ध में।	विवेचना की जा रही है।	अवगत कराया गया कि इसमें सी0बी0आई0 ने जांच कर ली है। आरोप-पत्र चला गया है और यह मामला अब प्री चार्ज स्टेज पर है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
		गृह (पुलिस)-5	
1211/2001	28-5-01 : अतारांकित-23 श्री राम कुमार एडवोकेट- जनपद उन्नाव में शस्त्र लाइसेन्स हेतु लम्बित प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में।	निर्देशित कर दिया गया है।	अवगत कराया गया कि कुल लम्बित 17135 शस्त्र आवेदन-पत्रों में से 2367 का निस्तारण किया जा चुका है। अवशेष 14868 शस्त्र आवेदन-पत्रों का निस्तारण किया जा रहा है। समिति ने इस निदेश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि लम्बित आवेदन-पत्रों का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर शीघ्र कराया जाये। (दि0 30-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)-4

1323/2001 29-5-01 : नियम-51 कार्यवाही की जायेगी।
श्री राम कुमार एडवोकेट-
पावर कारपोरेशन में तार
ट्रांसफार्मर एवं चोरी की घटनाओं
के सम्बन्ध में तत्काल
एफ0आई0आर0 दर्ज करने के
सम्बन्ध में दिये निर्देश पर
कार्यवाही।

अवगत कराया गया कि इस मामले में किसी प्रकार की घटना प्रकाश में नहीं आई। चोरी की घटनाओं में पावर कारपोरेशन द्वारा जो शिकायत होती है उसमें तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज की जाती है और विधिक कार्यवाही की जाती है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)-12

53/2002 12-8-02 : अतारांकित-107 जांच की जा रही है।
श्री रियाज अहमद-
जनपद पीलीभीत, थाना अमरिया
क्षेत्र के अतदिया में 25-12-01 में
सर्गाफ मंसूर अहमद की दुकान में
हुई चोरी की जांच में अन्तिम
रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले
विवेचनाधिकारी के विरुद्ध चल
रही जांच को पूर्ण किये जाने के
सम्बन्ध में।

अवगत कराया गया कि इसमें अदालत द्वारा अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा एवं पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया। विवेचनाधिकारी श्री ओम प्रकाश तिवारी को दोषी पाये जाने पर 15 दिन के वेतन के समतुल्य अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। समिति ने उक्त से संतोष प्रकट करते हुए आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-3	
128/2004	20-2-04 श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव- कानपुर के रामा डेन्टल कालेज के एक छात्र तथा मेडिकल कालेज के छात्र सिद्धार्थ चौधरी द्वारा हिरोइन व अवैध असलहों के व्यापार किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि इसमें थाना नौबस्ता पर मु0अ0सं0-77/2004 धारा-41/411 आई0पी0सी0 पंजीकृत किया गया था। विवेचना के उपरान्त साक्ष्य के अभाव में अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित कर दी गयी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
		गृह (पुलिस)-3	
170/2005	1-3-05 : नियम-56 श्री लालजी टण्डन एवं श्री हुकुम सिंह- श्री राजवीर सिंह, चेयरमैन नगर पंचायत एलम मुजफ्फरनगर की पंजाब नेशनल बैंक से निकलते समय हुई हत्या की जांच एवं पुत्र की सुरक्षा के सम्बन्ध में।	जांच की जायेगी।	अवगत कराया गया कि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के समय ही मुख्य अभियुक्त विनय उर्फ भटकू की मृत्यु हो गयी। इसलिये मुकदमा अवेट हो गया। सुरक्षा उसी समय उपलब्ध करा दी गयी थी। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)-12

225/2005	3-3-05 : नियम-300 श्री सुरेश कुमार खन्ना- जनपद शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद में बदमाशों द्वारा राजबहादुर की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में जांच।	जांच की जायेगी।	अवगत कराया गया कि सी0बी0सी0आई0डी0 जांच में शिव कुमार व रविनेश कुमार को दोषी पाया गया उनके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। प्रकरण ए0डी0जे0 प्रथम शाहजहांपुर के यहां विचाराधीन है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
गृह (पुलिस)-12			
628/2005	24-11-05 : नियम-56 श्री सुरेश कुमार खन्ना- जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पलिहुरा की विधवा मिथिलेश कुमारी की जमीन पर दबंगों द्वारा किया कब्जा हटाया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में उक्त भूमि अवैध कब्जे से मुक्त हो चुकी है। इसमें जो मिथिलेश कुमारी है भूमि पर उन्हीं का कब्जा है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को पूर्ण माना। (दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से पूर्ण)
गृह (पुलिस)-12			
768/2005	8-3-06 : नियम-51 श्री सुरेश कुमार खन्ना- जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला स्थित मोदी एक्सपोर्ट कारखाने में पड़ी डकैती की घटना के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में एफ0आई0आर0 एक्सेप्ट हो गयी है। समिति ने उक्त के परिप्रेक्ष्य में आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-12	
816/2005	20-3-06 : अतारांकित-125 श्री सुरेश कुमार खन्ना- ग्राम घंसा कल्याणपुर, थाना गढ़िया रंगीन, निवासी जगदीश की पुत्री कुसमा देवी को ग्राम कौड़ा गूजर, थाना अलापुर, जिला बदायूं में हत्या की जांच।	जांच प्रचलित है।	अवगत कराया गया कि विवेचनोपरान्त अभियुक्त श्याम लाल एवं रवीन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। समिति ने उक्त के परिप्रेक्ष्य में आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
		गृह (पुलिस)-9	
181/2006	11-12-2006 : तारांकित-1 श्री श्यामदेव राय चौधरी- राज्य में अग्रिम जमानत के प्राविधानों को लागू किया जाना।	शासन के विचाराधीन है।	अवगत कराया गया कि इसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित कराकर महामहिम राष्ट्रपति जी की सहमति के लिये भेजा गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		गृह (पुलिस)-10	
273/2007	5-11-07 : अतारांकित-125 श्री श्यामदेव राय चौधरी- वर्ष 2006 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित पुलिस सुधार की संस्तुतियों को लागू किया जाना।	राज्य सरकार के विचाराधीन है।	अवगत कराया गया कि उक्त संस्तुतियां शासनादेश सं0- 260(1)/छ: पु0-9-2007, दिनांक 07-9-2007 द्वारा लागू की जा चुकी है। समिति ने शासन की आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)-1

251/2008 10-3-08 : अतारांकित-191 पूर्ण कर ली जायेगी।
श्री अनुग्रह नारायण सिंह-
प्रदेश में पुलिस विभाग के अन्तर्गत
कान्सटेबिल, हेड कान्सटेबिल,
निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के
रिक्त पदों को भरा जाना।

अवगत कराया गया कि इसमें कुल 35844 रिक्तियां भरी जा चुकी हैं। समिति ने शासन की आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)-3

292/2008 19-8-08 : नियम-56 कार्यवाही की जायेगी।
श्री माता प्रसाद पाण्डेय एवं
डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-
जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील
डुमरियागंज सहित पूरे प्रदेश में
फैले नकली नोटों से उत्पन्न स्थिति
के सम्बन्ध में जांच एवं कार्यवाही
किया जाना।

अवगत कराया गया कि विभिन्न जनपदों में नकली नोटों के पकड़े जाने से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोगों की विवेचना सी0बी0आई0 से कराये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 30-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
गृह (पुलिस) विभाग-3			
37/2009	17-2-09 : नियम-56 श्री राघव लखन पाल शर्मा- सहारनपुर नगर में दिनांक 26 जनवरी, 2009 को श्री विनय सडाना के पुत्र सजल सडाना को अपहरण की सी0वी0आई0 जांच कराने के सम्बन्ध में।	जांच की जायेगी।	अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में अभियुक्तगण उदयवीर हरवीर, सुधीर को गिरफ्तार कर हाजिर न्यायालय जेल भेजा गया और आरोप-पत्र न्यायालय भेजे जा चुके हैं। चूंकि इस मामले में विभाग द्वारा कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। जिस कारण समिति ने आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
गृह (पुलिस)-12			
200/2010	15-2-2010 : औचित्य का प्रश्न श्री सुल्तान बेग- श्री सुल्तान बेग, सदस्य, विधान सभा के फार्म हाउस पर दिनांक 17-1-10 को पुलिस द्वारा मारे गये छापे एवं झूठे मुकदमें में फंसाये जाने का परीक्षण कराया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि इसमें आरोप-पत्र सं0-52/2010 दिनांक 2-4-10 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। समिति ने शासन के पत्र दिनांक 25-3-2011 का संज्ञान लेकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस) विभाग

269/2010 10-8-2010 : नियम-56 कार्यवाही की जायेगी।
श्री अम्बिका चौधरी-
प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध
कार्यवाही।

अवगत कराया गया कि इसमें कदाचित कोई ऐसा बिन्दु स्पष्ट नहीं हो रहा है। जिसमें कार्यवाही अपेक्षित है। अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। समिति ने विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि० 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
पर्यावरण			
1213/2001	28-5-01 अतारां0-25 श्री राम कुमार एडवोकेट- प्रश्नगत प्रकरण में कारण बताओ नोटिस की पुष्टि के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया कि कानपुर नगर के जाजमऊ क्षेत्र में स्थित अत्यधिक वायु एवं जल प्रदूषणकारी 29ग्लू/मैन्पोर इकाइयों द्वारा शुद्धिकरण की व्यवस्था न किये जाने के कारण इन्हें बन्द करने के आदेश दि0 27-7-2002 में जारी किये गये थे। यह इकाइयां वर्तमान में बन्द हैं। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को द्राप किया। (दि0 28-1-2011 की कार्यवाही से द्राप)
पर्यावरण			
1214/2001	28-5-01 अतारां0-26 श्री राम कुमार एडवोकेट- प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित उद्योगों को दिये गये कारण बताओ नोटिस की पुष्टि के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	आश्वासन सं0 1213/2001 से सम्बद्ध। (दि0 28-1-2011 की कार्यवाही से द्राप)
पर्यावरण			
651/2005	2-1-06 तारांकित-1 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- पालीथीन के प्रयोग से फैल रहे	हम प्रयास करेंगे।	अवगत कराया कि इसमें 143 इकाइयां हैं। जो बोर्ड द्वारा पंजीकृत करा ली गई हैं और इसमें एक एकट भी बना है जिसे लागू किया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन

प्रदूषण के निराकरण के लिये इकाइयों का पंजीकरण कराया जाना।

को ड्राप किया।

(दि0 28-1-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

पर्यावरण

73/2006 अल्पसूचित तारांकित प्रश्न- कार्यवाही की जायेगी।
डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-
शहरों में अवासीय क्षेत्र में स्थापित प्लास्टिक इकाइयों को बन्द किया जाना।

अवगत कराया गया है कि प्रदेश में 281 प्लास्टिक इकाइयों को चिन्हित किया गया है जिसमें से 143 इकाइयों को रजिस्टर्ड कर लिया गया है। बाकी 123 बन्द हैं। समिति ने विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 28-1-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

पर्यावरण

250/2008 10-3-08 अतारांकित-183 यथाशीघ्र।
श्री राम विशुन आजाद-
जनपद गोण्डा के बजाज शुगर मिल, कुन्दरखी का प्रदूषित जल चमदई नदी में आने के कारण संक्रामक रोगों के फैलने के सम्बन्ध में जांच एवं कार्यवाही किया जाना।

अवगत कराया कि मै0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डस्ट्री लि0 कुदरकी, गोण्डा में ई0टी0पी0 की समस्त इकाइयां स्थापित हैं। तथा प्रवाह में प्रचालकों की मात्रा बोर्ड के मानकों के अमुख पाई गई। बीमारी से ग्रसित होने के सम्बन्ध में सूचना शिकायत वर्तमान में नहीं हैं। समिति ने विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 28-1-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास विभाग

नगर विकास-1

723/99	12-3-99 अतारां0-94 श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना- नगर पंचायत निवाड़ी गाजियाबाद द्वारा नीलाम की गई जमीन की जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि इस प्रकरण में पुनः जांच कराई गई। पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई है जो ए0सी0जी0एम0 की कोर्ट में लम्बित है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 19-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

नगर विकास-1

112/2000	13-3-2000 अतारां0-86 श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना- जिलाधिकारी, गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट में दोषी पाये गये अध्यक्ष, नगर पंचायत निवाड़ी श्रीमती शिमला त्यागी तथा चपरासी श्री सुरेन्द्र सिंह के विरुद्ध जांच।	कार्यवाही की जा रही है।	आश्वासन संख्या 723/99 से सम्बद्ध (दि0 19-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------

नगर विकास-7

391/2000	27-4-2000 नियम-51 श्री संजय गर्ग- नगरपालिका परिषद् सहारनपुर को	कार्यवाही की जा रही है।	अवगत कराया गया है कि नगरपालिका परिषद् सहारनपुर को नगर निगम घोषित किया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
----------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	2	3	4
	नगर निगम का दर्जा देने के सम्बन्ध में।		(दि0 10-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
	नगर विकास-5		
394/2000	28-4-2000 तारां0-2 डा0 सरजीत सिंह डंग- सरफेस वाटर से जलापूर्ति किये जाने हेतु गोकुल एवं गंगा तथा आगरा बैराज से जलापूर्ति के सम्बन्ध में।	विचार किया जायेगा।	अवगत कराया गया है कि कानपुर में मेगा बैराज बनाकर नगर को पेयजल आपूर्ति हेतु योजना क्रियान्वित की जा चुकी है। शोधन संयंत्र निर्मित किया जा चुका है। आगरा में गंगा जल योजना लागू है। सतही जल स्रोत आधारित 30 योजनायें क्रियान्वित की गई हैं। गाजियाबाद, बुन्देलखण्ड के महोबा व कर्बी नगरों में सतही जल स्रोत आधारित अन्य योजनायें निर्माणाधीन हैं। इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है। समिति ने विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 10-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
	नगर विकास-5		
395/2000	28-4-2000 तारां0-5 श्री अम्बरीष कुमार तथा जगदम्बिका पाल- महानगरों के निवासियों हेतु शुद्ध	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि जे0एन0एन0 आर0यू0एम0 में पेयजल योजना को प्राथमिकता दिया गया है। बड़े तथा छोटे शहरों में भी यह योजना चल रही है। समिति विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में।

(दि० 10-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-5

396/2000 28-4-2000 तारां०-5
श्री श्यामदेव राय चौधरी-
नगरीय क्षेत्र के विधायकों के क्षेत्रों
में हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था के
सम्बन्ध में।

कार्यवाही की जायेगी।

अवगत कराया गया है कि नगरीय विधान सभा क्षेत्रों में 1000 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु 211.38 लाख की धनराशि शामिल थी, उक्त धनराशि से 20 विधान सभा क्षेत्रों में 964 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापित कराये गये। वाराणसी उत्तरी क्षेत्र के अवशेष 36 नग हैण्डपम्पों के विरुद्ध एक मिनी नलकूप का निर्माण कराया गया। समिति ने विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को पूर्ण माना।

(दि० 10-3-2011 की कार्यवाही से पूर्ण)

नगर विकास-6

401/2000 28-4-2000 अतारां०-19
डा० कौशल किशोर-
लखीमपुर में सड़क को क्रॉस करने
वाली नदियों को ढकने वाले टूटे
हुए पत्थरों को बदलने की
कार्यवाही।

कार्यवाही की जा रही है।

अवगत कराया गया है कि टूटे पत्थरों को ठीक करा दिया गया है। समिति ने विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को पूर्ण माना।

(दि० 10-3-2011 की कार्यवाही से पूर्ण)

नगर विकास-3

402/2000 28-4-2000 अतारां०-20

जांच कराई जा रही है।

अवगत कराया गया है कि टी०ए०सी० की जांच में कोई दोष

1	2	3	4
	श्री मुरलीधर- जल निगम फतेहपुर के अधिशासी अभियन्ता एवं इलाहाबाद के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की गई अनियमितताओं की टी0ए0सी0 द्वारा की गई जांच एवं जांच आख्या पर कार्यवाही।		सिद्ध नहीं पाया गया। समिति ने उक्त से सहमत होकर आश्वासन को पूर्ण माना। (दि0 10-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
	नगर विकास-5		
396/2000	28-4-2000 तारां0-5 श्री श्यामदेव राय चौधरी- नगरीय क्षेत्र के विधायकों के क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि धानपुर एवं नहरौर में जर्जर मार्गों का मरम्मत/निर्माण करा दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को पूर्ण माना। (दि0 10-3-2011 की कार्यवाही से पूर्ण)
	नगर विकास-1		
408/2000	28-4-2000 अतारां0-58 श्री रामतेज यादव- नगर पंचायत बिल्थरा रोड बलिया के अध्यक्ष को हटाये जाने एवं	जांच कराई जा रही है।	अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-81 के प्राविधानों के अनुसार वर्तमान में अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्यवाही कालबाधित होने के कारण नहीं की जा सकती है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप

वित्तीय अधिकार सीज करने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23-8-99 के अनुपालन में जांच की कार्यवाही।

किया।

(दि0 19-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-5

411/2000 28-4-2000 अतारां-118 कार्य प्रस्तावित है।
डा0 कौशल किशोर-
शहर लखीमपुर की नई आबादी हेतु शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु कार्यवाही।

अवगत कराया गया है कि इसमें नलकूप जलाशय बन गये हैं। समिति ने उक्त पर संतोष प्रकट करते हुए आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 19-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-1

412/2000 28-4-2000 अतारां-122 कार्यवाही की जा रही है।
श्री रमेश राही-
वर्ष 1997 से अप्रैल, 1999 के मध्य सीतापुर शहर में कुल लेपन कार्य करवाये 10 मार्गों में से 5 मार्गों के क्षतिग्रस्त हो जाने की जांच में पाये जाने वाले दोषियों के

अवगत कराया गया है इसमें दोषी पाये गये टेकेदार और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर ली गई है तथा पुनर्निर्माण की कार्य भी पूर्ण कराया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 19-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
	विरुद्ध कार्यवाही।		
		नगर विकास-9	
413/2000	28-4-2000 अतारों-135 श्री मूलचन्द्र- नगर परिषद् धामपुर बिजनौर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण की कार्यवाही।	आदेश दे दिये गये हैं।	अवगत कराया गया है कि सड़क का निर्माण कराया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को द्राप किया। (दि0 19-9-2011 की कार्यवाही से द्राप)
		नगर विकास-9	
421/2000	28-4-2000 अतारों-168 श्री राम औतार शाक्य- नगरपालिका मैनपुरी में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र सी0एम0/ वि0को0/एम-2/मैनपुरी/99 दिनांक 5-10-99 की जांच आख्या पर कार्यवाही।	आख्या मांगी गई है।	अवगत कराया गया है कि माननीय विधायक जी के पत्र पर कार्यवाही की गई और वह टेका निरस्त कर दिया गया तथा दूसरा टेका दिया गया जिसे कमिश्नर द्वारा एप्रूव किया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को द्राप किया। (दि0 19-9-2011 की कार्यवाही से द्राप)
		नगर विकास-1	
593/2001	11-5-01 अतारों-70	निर्गत किया गया है।	अवगत कराया गया है कि इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष से

श्री बादशाह सिंह-
नगर पंचायत खड्डा कुशीनगर के
अध्यक्ष द्वारा वर्ष 1995 में अवैध
एवं नियम विरुद्ध लिये गये यात्रा
भत्ता की धनराशि को वापस लेकर
जमा कराने के संबंध में।

नगर विकास-4

594/2000 11-01 अतारां-73 निर्देश दिये गये हैं।
श्री शिव सिंह चक-
श्रीमती कपूर के पेंश आदि के
सम्बन्ध में निदेशक स्थानीय
निकाय को दिये गये निर्देश के
क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

वसूली के आदेश हो गये हैं लेकिन उन्होंने माननीय न्यायालय से
स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। इस प्रकरण से सम्बन्धित
अधिकासी अधिकारी को भी एडवर्स इन्ट्री दे दी गई है। समिति ने
इस संस्तुति के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि मा0 न्यायालय
का जो आदेश होगा, विभाग इसके अनुसार कार्यवाही करेगा।

(दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

अवगत कराया गया है कि इसमें सभी देयों का भुगतान
किया जा चुका है। अब कोई देय बाकी नहीं है। समिति ने उक्त
से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-5

595/2001 11-5-01 अतारां-74 यथाशीघ्र चालू करा दिया जायेगा।
श्री शिव सिंह चक-
तेलीबाग में लगे हैण्डपम्प के
रिबोर तथा नेपालगंज के खराब
हैण्डपम्पों की मरम्मत कराकर

अवगत कराया गया है कि इसमें सभी हैण्डपम्पों को ठीक
करा कर चालू करा दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट
होकर आश्वासन को पूर्ण माना।

(दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से पूर्ण)

1	2	3	4
	शीघ्र चालू किये जाने के सम्बन्ध में।		
		नगर विकास-4	
597/2001	11-5-01 अतारां-80 श्री रिफाकत हुसैन- अनियमित भुगतान के सन्दर्भ में अधिकाधिक अधिकारी नगरपालिका परिषद् दादरी के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही।	निर्णय लिया जायेगा।	अवगत कराया गया है कि इसमें संबंधित अधिकारी द्वारा भुगतान का जो प्रोसीजर था उसका पालन नहीं किया गया। इस अनियमितता के लिये अधिकाधिक अधिकारी नगरपालिका परिषद् दादरी के विरुद्ध जांच करा कर वृहद् दण्ड जिसमें दो वेतन वृद्धियां रोकने तथा परिनिन्दा प्रविष्टि का दण्ड दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को पूर्ण माना। (दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से पूर्ण)
		नगर विकास-7	
599/2001	11-5-01 अतारां-102 श्री राजेन्द्र यादव- राजाजीपुरम् के सेक्टर-10 एवं 13 के बीच से निकलती हुए टैम्पो स्टैण्ड को जाकर मोहन रोड में मिलने वाली रोड पर मरकरी लाइट लगाने के सम्बन्ध में।	धन की उपलब्धता के आधार पर।	अवगत कराया गया है कि इसमें 65 सोडियम लाइट लगाने का काम पूरा हो चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को पूर्ण माना। (दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से पूर्ण)

नगर विकास-7

600/2001 11-5-01 अतारां-106 जी हां।
 श्री शिशुपाल सिंह यादव-
 श्री पंचम लाल पुत्र श्री घसीटे
 मकान नं0 14/225 नई बस्ती
 पुराना वर्फखाना लखनऊ के
 किरायेदार द्वारा किया गया अवैध
 कब्जा एवं निर्माण हटवाने की
 कार्यवाही।

अवगत कराया गया है कि इसमें 20-9-2009 को अवैध
 निर्माण ध्वस्त करा कर अवैध कब्जा हटा दिया गया है। वर्तमान
 में कोई अवैध निर्माण/कब्जा नहीं है। समिति ने उक्त से संतुष्ट
 होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-5

132/2002 16-8-02 नियम-51 कार्यवाही की जायेगी।
 श्री सुरेश कुमार खन्ना-
 नगरीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे
 के कारण उत्पन्न पेयजल समस्या
 के निराकरण हेतु आपदा राहत से
 निधि से 35 करोड़ की धनराशि
 स्वीकृत कराके पेयजल की समस्या
 के समाधान के सम्बन्ध में
 कार्यवाही।

अवगत कराया गया है कि इसमें पेयजल समस्या का कार्य
 पूर्ण कराया जा चुका है। समिति ने पत्र दिनांक 15-9-2011 का
 संज्ञान लेकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 19-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
नगर विकास-7			
166/2004	26-7-04 अतारां-71 श्री राधेश्याम जायसवाल- लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र पूरननगर तिराहे मुकेश डिपार्टमेंटल स्टोर से मानक नगर रेलवे स्टेशन एवं श्यामनगर आर0डी0एस0ओ0 गेट से मानकनगर रेलवे स्टेशन तक अवैध निर्माण हटाया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि इसमें समय-समय पर अभियान चला कर अतिक्रमण हटा दिया गया है। समिति ने विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 10-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
नगर विकास-2			
434/2004	11-5-01 नियम-51 श्री मदन चौहान- जनपद गाजियाबाद से गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट में गंगा के किनारे शवदाह स्थल का सुधार एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि गंगा के किनारे शवदाह स्थल के सुधार एवं सौन्दर्यीकरण हेड शमशान घाट पर कैम्पस का निर्माण कराया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
नगर विकास-2			
260/2005	7-3-05 अतारां-122	करा दी जायेगी।	अवगत कराया गया है कि इसमें अभियान चला कर सभी

श्री सुरेश कुमार खन्ना-
शाहजहांपुर नगरपालिका परिषद् के
अन्तर्गत आने वाले पांच बड़े
नालों की सफाई कराया जाना।

नालों की सफाई कराई जा चुकी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट
होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-2

260/2005 7-3-05 अतारां-122 करा दी जायेगी।
श्री सुरेश कुमार खन्ना-
शाहजहांपुर नगरपालिका परिषद् के
अन्तर्गत आने वाले पांच बड़े
नालों की सफाई कराया जाना।

अवगत कराया गया है कि इसमें अभियान चला कर सभी
नालों की सफाई कराई जा चुकी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट
होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 19-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास (गंगा सेल)

254/2007 5-11-07 अतारांकित-26 कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
श्री पूरन प्रकाश-
मानसी गंगा गोवर्धन की सफाई/
सौन्दर्यीकरण कराया जाना।

अवगत कराया गया है कि इसमें राष्ट्रीय झील संरक्षण
कार्यक्रम के अन्तर्गत मानीस गंगा ताला, गोवर्धन (मथुरा) की
प्रदूषण नियंत्रण एवं रिवाइवल योजना में कुल धनराशि रु0 1317.
29 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। योजनान्तर्गत
सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण, राइजिंग मेन का कार्य, स्वच्छ
शौचालयों के निर्माण, सीवर लाइन बिछाने का कार्य तथा ताल के
पानी के डायलूशन एवं फलाशिंग संबंधी कार्य प्रस्तावित है जिसमें
90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। धनराशि प्राप्त होने पर अवशेष

1	2	3	4
			कार्य पूर्ण करा लिये जायेंगे। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में समिति ने आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
		नगर विकास-1	
255/2007	5-11-07 अतारांकित-27 श्री पूरन प्रकाश- जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन में लगने वाले पूर्णिमा मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	अनुरोध किया गया है।	अवगत कराया गया है कि इसको राजकीय मेले का दर्जा दे दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 27-8-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		नगर विकास-1	
263/2007	5-11-07 अतारांकित-68 श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल- जनपद सिद्धार्थनगर में उस्का बाजार को टाउन एरिया बनाया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि दिनांक 31 जुलाई, 2009 को इसे नगर पंचायत घोषित कर दिया गया है। समिति ने आश्वासन को पूर्ण माना। (दि0 27-8-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		नगर विकास-1	
268/2007	5-11-07 अतारांकित-100	जी हां।	अवगत कराया गया है इसमें सड़क का निर्माण अप्रैल,

श्री राम विशुन आजाद-
लखनऊ में कानपुर रोड स्थित
बजरंगनगर (कृष्णनगर) के पहली
गली में मकान नम्बर 30 से 35
के सामने की सड़क को बनाया
जाना।

2008 में पूर्ण कर लिया गया है। समिति ने आश्वासन को पूर्ण
माना।

(दि0 27-8-2011 की कार्यवाही से पूर्ण)

नगर विकास-7

368/2007 21-8-08 नियम-51 कार्यवाही की जायेगी।
श्री संजीव दरियावादी-
जनपद कानपुर में सड़क के दोनों
ओर से अतिक्रमण हटाया जाना।

अवगत कराया गया है इसमें अतिक्रमण हटवा दिया गया है।
समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 27-8-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-9

80/2009 3-8-09 अतारांकित-24 नियमावली प्रस्तावित है।
श्री अनुग्रह नारायण सिंह-
प्रदेश के नगर निगमों में होर्डिंग्स/
विज्ञापन आदि लगाये जाने के
सम्बन्ध में नियमावली प्रख्यापित
कराकर कार्यवाही किया जाना।

अवगत कराया गया है इसमें उ0प्र0 नगर निगम (विज्ञापन
पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली, 2009 दिनांक
24-12-2009 द्वारा प्रख्यापित की जा चुकी है। समिति ने उक्त
से संतुष्ट होकर आश्वासन को पूर्ण माना।

(दि0 27-8-2011 की कार्यवाही से पूर्ण)

1	2	3	4
			नगर विकास-9
82/2009	3-8-09 अतारांकित-57 श्री श्यामदेव राय चौधरी- जनपद वाराणसी के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में बरसाती पानी के निकासी हेतु कार्य योजना लागू करके कार्यवाही किया जाना।	जी हां।	अवगत कराया गया है जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण वाराणसी नगर निगम क्षेत्र जिसमें वाराणसी दक्षिण भी शामिल है, वर्ष के जल निकासी की योजना बनाई गई है। यह योजना सी0एस0एम0सी0 की बैठक में स्वीकृत हो चुकी है तथा 25 प्रतिशत धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है। योजना का कार्य 12-4-2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। समिति ने विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 10-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
			नगर विकास-7
16/2010	1-2-2010 अतारांकित-3 श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल- लखनऊ शहर के इन्दिरानगर ए ब्लाक 1103/16 के सामने बने पार्क को सुअरों से मुक्त कराने के सम्बन्ध में।	जी हां।	अवगत कराया गया है इसमें कैटिल कैचिंग विभाग द्वारा 1 अप्रैल, 2010 से 15 अप्रैल, 2010 तक छुट्टा सुअरों को पकड़वाने हेतु अभियान चलाया गया। पार्क के आस पास 10 तथा नगर सीमा के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों से 66 सुअरों को पकड़वाकर काजीहाउस में बन्द कराया गया। सुअर पालकों को सुअरों को नगर निगम सीमा के बाहर ले जाने हेतु 04-08-2010 एवं 18-7-2010 को नोटिस प्रेषित किया गया। समिति ने उक्त के परिप्रेक्ष्य में आश्वासन को ड्राप किया।

(दि० 27-8-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-5

17/2010 1-2-2010 अतारांकित-11 जी हां।
चौ० रवीन्द्र प्रताप-
जनपद इलाहाबाद के पुराना
बेरहना के न्यू लक्शर लाईन में
वर्फ खाने वाली गली में क्षमता के
अनुसार सीवर लाइन डालने के
सम्बन्ध में।

अवगत कराया गया है इसमें जे०एन०एन०यू०आर०एम० के
अनतर्गत स्वीकृत इलाहाबाद सीवरेज डिस्ट्रिक्ट 'डी' की योजना,
अनुमानित लागत रु० 355.98 करोड़ सम्मिलित है। जल निगम
से आई०आई०टी० से परामर्श प्राप्त किया जा रहा है। परामर्श
प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। समिति ने आश्वासन
को ड्राप किया।

(दि० 27-8-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

नगर विकास-7

18/2010 1-2-2010 अतारांकित-13 प्रक्रियाधीन है।
श्री आरिफ अनवर हाशिमि-
जनपद लखनऊ के (दौलतगंज)
मुहल्ला सज्जादगंज में सीवर
डालने से क्षतिग्रस्त पक्की सड़कों
को मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।

अवगत कराया गया है क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक करा दिया
गया है। समिति ने आश्वासन को पूर्ण माना।

(दि० 27-8-2010 की कार्यवाही से पूर्ण)

नगर विकास-9

19/2010 1-2-2010 अतारांकित-16 निर्देश दिये गये हैं।
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

अवगत कराया गया है जनपद में किसी भी नगर निकाय
क्षेत्र (न०पा० परि०/न०पा०) में राष्ट्रीय राजमार्गों से प्रवेश करने

1	2	3	4
	<p>नगरपालिका परिषद् चित्रकूट के नगर पंचायत क्षेत्र में राष्ट्रीय मार्गों में प्रवेश करने वाले वाहनों से अवैध तहबाजारी वसूली सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 21-5-09 पर कार्यवाही।</p>	<p style="text-align: center;">नगर विकास-3</p> <p>आदेश है दिये गये हैं।</p>	<p>वाले वाहनों से तहबाजारी की वसूली नहीं की जा रही है। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से ड्राप)</p> <p>अवगत कराया गया है इसमें पूरा भुगतान रु0 70543.00 का करा दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को पूर्ण माना। (दि0 27-8-2010 की कार्यवाही से पूर्ण)</p>
243ए/2010	<p>9-8-2010 अतारंकित-161 श्री जावेद अंसारी- श्री सलमान अंसारी की विधवा श्रीमती तसनीम फात्मा का रोके पेंशन का भुगतान।</p>		

वन विभाग

1	2	3	4
वन-4			
298/2010	13-8-2010 तारांकित-07 डा० अनिल चौधरी- राज्य बन्धु जीव में राज्य पुष्प के चयन पर विचार।	प्रस्ताव रखा जायेगा।	अवगत कराया गया है 'पलाश' (ढाक) को उत्तर प्रदेश राज्य का 'राज्य पुष्प' घोषित कर दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को पूर्ण माना। (दि० 18-4-2011 की कार्यवाही से पूर्ण)

आवास एवं शहरी नियोजन

1	2	3	4
आवास एवं शहरी नियोजन-1			
313/2008	20-8-08 अतारांकित-54 डा0 धर्मपाल सिंह- आगरा शहर में यमुना किनारा मार्ग को एलीवेटेड रोड बनाया जाना।	कार्य प्रगति में है।	अवगत कराया गया है कन्सलटेन्ट द्वारा परीक्षणोपरान्त फिजिविलिटी के आधार पर प्रस्तावित तकनीकी विकल्पों के आधार पर यमुना किनारे रोड को एलीवेटेड रोड बनाया जाना सम्भव नहीं है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 18-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
आवास एवं शहरी नियोजन-1			
152/2010	10-2-2010 अतारांकित-111 श्री यशपाल सिंह- जनपद महामायानगर के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् सिकन्दराराऊ नगर पंचायत पुरदिल व नगर पंचायत में भूमि के अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही।	निर्देशित कर दिया गया है।	अवगत कराया गया है कि नगर पालिका परिषद् सिकन्दरामऊ की सीमा में नजूल भूमि में 24 टुकड़ों पर अवैध कब्जा था। इसमें एफ0आई0आर0 दर्ज करके पी0जी0 ऐक्ट में कार्यवाही की जा रही है। इसमें मुकदमा कायम हो गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 18-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

लघु सिंचाई विभाग

1	2	3	4
526/2000	3-5-2000 अतारां0-184 श्री अजय कुमार पोइया- श्री वीरेन्द्र सिंह यादव अवर अभियन्ता विकास खण्ड चोह झील मथुरा द्वारा वर्ष 1995-96, 96-97 तथा 1997-98 में किये गये कार्यों की जांच के सम्बन्ध में।	निर्गत किये जा चुके हैं।	अवगत कराया गया है कि इसमें कुल रु0 15598.00 की वसूली के आदेश दिये गये थे जिसमें श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता से रु0 6259.00 बोरिंग टेक्नीशियन एवं सहायक बोरिंग टेक्नीशियन से रु0 9339.00 की वसूली की जा चुकी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को द्राप किया। (दि0 26-7-2011 की कार्यवाही से द्राप)

श्रम विभाग

1	2	3	4
श्रम-3			
649/2000	10-5-2010 वक्तव्य श्री श्रीराम पाल- मे0 शिवम ब्रिक फील्ड गौरी सज्जन भोगनीपुर कानपुर तथा मे0 जी0एस0 ब्रिक फील्ड उझियानी इटावा द्वारा क्रमशः श्री शिव नारायण, श्री श्याम नारायण, श्री ओंकार तथा श्री विनोद द्वारा की गई मजदूरी के देयों के भुगतान के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि इसमें उनको पूरा भुगतान कर दिया गया है तथा संबंधित समीक्षा अधिकारी को चेतावनी जारी की गई है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को द्राप किया। (दि0 30-5-2011 की कार्यवाही से द्राप)
श्रम विभाग-4			
227/2005	11-3-05 नियम-51 श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव- सहायक कारखाना निदेशकों की ज्येष्ठता निर्धारित किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि इसमें आपत्तियों का निर्धारण करने के बाद ज्येष्ठता सूची पूरी हो गई है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को द्राप किया। (दि0 30-5-2011 की कार्यवाही से द्राप)
श्रम-3			
702/2005	17-2-06 अतारां0-21	कार्यवाही की जा रही है।	अवगत कराया गया है कि प्रदेश के 59 अधिसूचित

श्री श्यामदेव राय चौधरी-
न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल/
त्रिदलीय समिति की सलाह के
अनुसार न्यूनतम वेतन लागू करने
हेतु अधिसूचना जारी किया जाना।

726/2005 17-2-06 नियम-56 जांच की जायेगी।
डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-
श्रम विभाग के सहायक श्रम
आयुक्त श्री सुनील कुमार के
विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच।

202/2010 15-2-2010 नियम-56 कार्यवाही की जायेगी।
श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती
सिंह-
प्रतापगढ़ में पट्टी से दीवानगंज
मार्ग पर पड़ने वाले ईट भट्टों पर
बधुआ मजदूरी एवं अवैध

नियोजनों (जिसमें सिनेमा नियोजन भी सम्मिलित है) में नियोजन
कर्मचारियों/श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी पुनर्निर्धारित करते हुए
अधिसूचना दिनांक 24-2-2006 निर्गत कर दी गई है। समिति ने
उक्त पर संतोष प्रकट करते हुए आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 30-5-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

श्रम-4

अवगत कराया गया है कि श्री सुनील कुमार सहायक
श्रमायुक्त एवं उनकी टीम के विरुद्ध लगाये गये आरोप
आधारहीन/बलहीन पाये जाने के कारण उन पर सिद्ध नहीं पाये
गये तथा प्रकरण को सम्यक् विचारोपरान्त निक्षेपित कर दिया
गया। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 30-5-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

श्रम-1

अवगत कराया गया है कि इसमें जांच कराई गई जांच में
यह पाया गया कि बंधुआ मजदूर और बाल श्रमिक उसमें नहीं है
लेकिन जो पेपर्स पूरे होने चाहिये थे वे कम्पलीट नहीं थे इसलिये
इस बिन्दु पर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। समिति ने
विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 30-5-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1

2

3

4

गतिविधियों को रोकने के सम्बन्ध
में।

विकलांग कल्याण विभाग

1	2	3	4
विकलांग कल्याण-2			
620/90	29-6-90 अतारां0-47 कुंवर रेवती रमण सिंह- प्रदेश के विकलांगों को पेंशन में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि उस समय विकलांगों को पेंशन के रूप में मात्र 60 रुपये मिलते थे जिसे बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया। वर्ष 1999 में 100 से बढ़ाकर 125 वर्ष 2005 में 150 तथा वर्ष 2007 में इसे बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। समिति ने उक्त से सहमत होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
विकलांग कल्याण-2			
475/92	23-4-92 तारां0-2 श्री राम प्रसाद सिंह- जनपद बांदा के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांगों को पेंशन अनुदान उनके घर पर ही देने की व्यवस्था किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि सभी विकलांग पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते खुलवा दिये गये तथा कोषागार से आहरित की गई धनराशि सीधे विकलांग पेंशन लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाने की व्यवस्था कर दी गई है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
विकलांग कल्याण-2			
676/92	20-10-92 तारां0-7 श्री बंशीधर राज-	खोजबीन की जा रही है।	अवगत कराया गया है कि श्रीमती नूरजहां का प्रार्थना-पत्र सिंलाई मशीन दिये जाने के संबंध में था, यह योजना पहाड़ी क्षेत्र

जनपद फैजाबाद तहसील अकबरपुर के ग्राम लोरपुर की निवासिनी श्रीमती नूरजहां को धन स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी पत्र।

विकलांग कल्याण-3

232/95 1-8-95 तारां0-14 निर्णय लिया जायेगा।
श्री अजय कुमार पोड़या-
सरकारी सेवक के सेवाकाल में पूर्ण शारीरिक विकलांगता हो जाने पर उसके आश्रित को सेवा में लिये जाने पर विचार।

के लिये थी, मैदानी क्षेत्र के लिये यह योजना नहीं थी। इस लिये इन्हें सहायता दिया जाना सम्भव नहीं हो सका। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

अवगत कराया गया है कि विकलांग कर्मियों के आश्रितों को सेवा में लिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है क्योंकि निःशक्तजन के सेवा से पृथक किये जाने का प्राविधान नहीं है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

विकलांग कल्याण-3

224/98 24-6-98 तारां0-139 कार्यवाही की जा रही है।
श्री कृष्ण चन्द्र पुनेटा-
राज्य में विकलांग जन एक्ट 1995 के प्राविधान के तहत विकलांग जन आयुक्त की नियुक्ति।

अवगत कराया गया है कि आयुक्त विकलांगजन कार्यालय की विधिवत् स्थापना हो गई है और स्टाफ की भी नियुक्ति हो गई है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

विकलांग कल्याण-1

1	2	3	4
810/98	22-7-98 तारां0-2 श्री चन्द्रनाथ सिंह- इलाहाबाद के राजकीय विकलांग निदेशालय के जर्जर भवन को दृष्टिगत रखते हुए किसी अन्य किराये के भवन लेने के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया जायेगा।	अवगत कराया गया है कि इलाहाबाद में विकलांग निदेशालय का भवन जर्जर होने के कारण अन्य भवन को किराये पर लेकर वर्ष 1999 में स्थानान्तरित किया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को द्राप किया। (दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से द्राप)
विकलांग कल्याण-3			
32/99	10-2-99 अतारां0-116 श्री धर्मज्ञ मिश्र- प्रदेश में अपंग एवं विकलांगों हेतु राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की रोजगार पूरक योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दिये जाने की कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	अवगत कराया गया है कि वर्ष 1999 से चलाई गई इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायत दुकाने निर्माण, पुनर्वास, रोजगार आदि के लिये दी जाती है। वर्ष 2005 में एक अतिरिक्त योजना यू0पी0एफ0सी0 के माध्यम से चलाई जा रही है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को द्राप किया। (दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से द्राप)
विकलांग कल्याण-3			
508/2000	3-5-2000 अतारां0-111 श्री कृष्ण चन्द्र पुनेटा-	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18-9-1998 द्वारा सभी पदों को भर दिया गया है। समिति ने

न्यायालय विकलांग जन आयुक्त के कार्यालय में रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही।

उक्त का संज्ञान लेकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि० 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

विकलांग कल्याण-1

460/2001 9-5-2001 तारां०-16 कार्यवाही प्रगति में है।
श्री श्यामदेव राय चौधरी-
केन्द्र सरकार द्वारा सहायतित
विकलांग जनपुनर्वासन कार्यक्रम
कम्पोजिट रीजनल रिहेविटीशन
सेंटर की स्थापना ग्रामीण पुनर्वास
स्पाइनल इंजरी सेंटर आदि
योजनाओं के कार्यान्वयन के
सम्बन्ध में।

अवगत कराया गया है कि यह योजना मुख्यतः ग्रामीण पुनर्वासन के लिये चलाई गई थी। भारत सरकार ने इस योजना को समाप्त कर दिया है। राज्य के संसाधनों को देखते हुए इसे चलाना सम्भव नहीं हो सका। समिति ने विभागीय साक्ष्य से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि० 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

विकलांग कल्याण-1

200/2005 2-3-05 अतारां०-24 विचाराधीन है।
डा० राधा मोहन दास अग्रवाल-
प्रदेश में कार्यरत दृष्टिवाधि,
मूकबधिर, अक्षम तथा मानसिक
विद्यालयों के शिक्षकों को वेतनमान

अवगत कराया गया है कि सभी विद्यालयों के शिक्षकों का वेतनमान पुनरीक्षित किया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि० 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
	दिया जाना।		
		विकलांग कल्याण-2	
595/2005	23-11-05 अतारां0-22 श्री संजीव दरियावादी- श्रीमती अमरता धर्मपत्नी पांचू, निवासिनी देवीपार सल्टउवा थाना गोविन्दनगर, जिला बस्ती की पुत्री श्रीमती सीतापती (पूर्ण विकलांग) को जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	अवगत कराया गया है कि श्रीमती सीतापति को पेंशन वर्ष 2006 से स्वीकृति की जा चुकी है और उन्हें नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		विकलांग कल्याण-2	
40/2006	23-8-2006 अतारां0-8 श्री श्यामदेव राय चौधरी- जनपद वाराणसी में मात्र विकलांग व्यक्तियों को चयनित करके अनुमन्य पेंशन दिया जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	अवगत कराया गया है कि इसमें 2006-07 में कुल 8695 प्राप्त आवेदन-पत्रों में से 7385 पूर्ण एवं पात्र आवेदकों को समयान्तर्गत विकलांग पेंशन स्वीकृति कर दी गई है। तथा वर्ष 2010-11 में 14764 विकलांगों को पेंशन स्वीकृत की गई। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 19-4-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश
व्यापार विभाग

1	2	3	4
1	2	3	4
कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार-1			
1/2010	28-1-2010 : तारांकित-8 श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा- प्रदेश की कृषिउत्पादन मण्डी समितियों में उचित तौल/माप हेतु इलेक्ट्रॉनिक कोटा लगाने के सम्बन्ध में।	जी हां।	अवगत कराया गया कि प्रदेश में 95 नग इलेक्ट्रॉनिक कांटा विभिन्न मण्डी स्थलों पर स्थापित हो गये हैं और कार्यकर रहे है साथ ही 69 नगर वे-ब्रिजेज का कार्य प्रगति पर है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 26-7-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार-1			
4/2010	28-1-2010 : अतारांकित-31 श्री छत्रपाल सिंह गंगवार- प्रदेश की मण्डी समितियों अवशेष संवर्ग के कर्मियों को छटा प्रस्ताव वेतनमान दिया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ मण्डी समितियों के कर्मियों को मिल रहा है। समिति ने उक्त परे संतोष व्यक्त करते हुए आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 26-7-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार-1			
286/2010	28-1-2010 : अतारांकित-82 श्री आलोक कुमार शाक्य- जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में वर्ष 2010-11 में	कार्यवाही की जा रही है।	अवगत कराया गया कि इसमें 13 दावेदार काशतकारों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर दी गयी है। समिति ने उक्त पर संतोष व्यक्त करते हुए आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 26-7-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

आग से गेहूं की फसल नष्ट होने
की क्षतिपूर्ति विषयक।

पशुधन विभाग

पशुधन-2

172/2010 11-2-2010 : अतारंकित-151 आख्या मांगी गयी है।
चौ० सत्येन्द्र सोलंकी-
सुखाग्रस्त घोषित जनपद हरदोई में
निशुल्क पशु चिकित्सा टीकाकरण
का लाभ न दिये जाने की जांच
कराकर कार्यवाही किया जाना।

अवगत कराया गया कि जनपद के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के पशुपालकों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पशुओं को उपचार एवं टीकाकरण के लिए ली जाने वाली लेबी दिनांक 31-372010 तक के लिए माफ कर दी गयी। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि० 29-8-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)

गृह (पुलिस)-9

770/99 15-3-99 : अतारांकित-66
श्री छोटे लाल गंगवार-
संयुक्त निदेशक, अभियोजन के
रिक्त पदों पर नियुक्तियां।

कार्यवाही की जा रही है।

अवगत कराया गया कि वर्ष 1999 में जो पद रिक्त थे वह सभी भरे जा चुके हैं। समिति ने शासन के पत्र दिनांक 24-3-2011 का संज्ञान लेकर आश्वासन को पूर्ण माना।

(दि0 28-3-2011 की कार्यवाही से पूर्ण)

गृह (पुलिस)-1

795/99 15-3-99 : अतारांकित-166
श्री ओमकार यादव-
एस0आई0 श्री एस0एम0आर0
रिजवी बदायूं के विरुद्ध जांच एवं
कार्यवाही।

कार्यवाही की जायेगी।

अवगत कराया गया कि इसमें जांचोपरान्त श्री एस0एम0आर0 रिजवी को परिनिन्दा प्रविष्टि का दण्ड प्रदान किया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)-4

1045/99 22-3-99 : अतारांकित-30
श्री कृपा शंकर सिंह-
मु0अ0सं0 176/98 एवं
177/98 थाना बिहार (उन्नाव)
की पुर्न विवेचना की कार्यवाही।

विवेचना की जा रही है।

अवगत कराया गया कि यह प्रकरण उन्नाव जनपद से सम्बन्धित है। इसमें दो मुकदामे 176/98 एवं मुं0सं0 277/98 कायम हुए थे। मु0सं0 176/98 में वादी ने अभियुक्तों की चौकी इंचार्ज से सांठ-गांठ का आरोप लगाया था, इसमें न्यायालय में अन्तिम रिपोर्ट पेश कर दी गयी है। मु0सं0 177/98 मार पीट से सम्बन्धित था इसमें अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में विचाराधीन है। समिति विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप

1	2	3	4
			किया। (दि० 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		गृह (पुलिस)-4	
1063/99	22-3-99 : अतारांकित-114 श्री राम सिंह सैनी- उन्नाव के थाना सहिरा मऊ में पंजीकृत अ०सं० 7/99 धारा 307 आई०पी०सी० की जांच एवं कार्यवाही के सम्बन्ध में।	विवेचना कराई जायेगी।	अवगत कराया गया कि मु०अ०सं०-194/98 में आरोप दल प्रेषित किया गया था कोर्ट ने सुबह के आधार पर दोष मुक्त कर दिया। मु०अ०सं० 07/99 में न्यायालय ने विचारण करते हुए अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि० 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
			गृह (पुलिस)-1
1064/99	22-3-99 : अतारांकित-115 श्री अजय भट्ट- अम्बेडकर नगर में स्थानांतरित सब इन्सपेक्टर श्रीमती लालमती द्वारा अपना कार्यभार न ग्रहण करने की जांच।	जांच प्रचलित है।	अवगत कराया गया कि श्रीमती लालमती, महिला मुख्य आरक्षी प्रोन्नति प्राप्त की अनुपस्थिति अवधि दिनांक 24-6-98 से 4-1-99 तक उपार्जित तक उपार्जित/मेडिकल तथा दिनांक 5-1-99 से 1-7-99 तक से दिवस का वेतन भुगतान न किए जाने का आदेश पारित कर दिये गये हैं। विभागीय आख्या के अनुसार समिति ने आश्वासन को ड्राप किया। (दि० 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
			गृह (पुलिस)-11

1070/99 22-3-99 : अतारांकित-136 निर्देश दे दिये गये हैं।
श्री धर्मज्ञ मिश्र-
अकबरपुर (कानपुर देहात) निवासी
श्री रविकान्त उर्फ नीलू त्रिपाठी की
तलाश की कार्यवाही।

अवगत कराया गया कि नीलू त्रिपाठी हाई स्कूल में फेल हो जाने के कारण 1998 में घर से भाग गया था, जो वर्ष 2000 में घर वापस आ गया था 20 जून, 2011 को उसने आत्म हत्या कर ली थी इसकी सूचना थाने पर दी गयी थी। इसमें अपहरण होना नहीं पाया गया। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 30-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)-12

1073/99 22-3-99 : अतारांकित-141 विवेचना की जा रही है।
श्री राम सिंह तथा
श्री प्रीतम राम-
थाना बीसलपुर पीलीभीत में
दिनांक 19-8-98 को पंजीकृत
अपराध सं0-423/98 की
विवेचना।

अवगत कराया गया कि इसमें विवेचना में साक्ष्य के अभाव में दि0 20-5-1999 को अन्तिम रिपोर्ट लगाकर विवेचना समाप्त कर दी गयी थी। विवेचना पूर्ण हो जाने के कारण समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 30-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)-12

1079/99 22-3-99 : अतारांकित-152 विवेचना प्रचलित है।
श्री अजय कुमार पोइया-
विधायक कोष्टक के
पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम-3/

अवगत कराया गया कि अपराध सं0-303/98 में कोई अपराध होना नहीं पाया गया। इसलिये फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
	17422/मथुरा/98 23-10-98 पर कार्यवाही।	दिनांक	(दि० 30-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
			गृह (पुलिस)-12
63/2001	23-4-01 : अतारांकित-71 श्री तेजभान सिंह- श्री शिवशंकर गुप्ता पुत्र श्री राम प्रकाश गुप्ता 41वी आदर्शनगर फिरोजाबाद द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर मुकदमा दर्ज करने एवं उस पर जांच करने के सम्बन्ध में।	विवेचना प्रचलित है।	अवगत कराया गया कि इसमें पुनर्विवेचना के बाद फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की गई जिसको न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। समिति ने उक्त पर संतोष प्रकट करते हुए आश्वासन को ड्राप किया। (दि० 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
			गृह (पुलिस)-4
363/2001	3-5-01 : नियम-56 श्री कुंवर रेवती रमण सिंह- सेन्चुरी कन्सल्टेन्ट द्वारा किये गये घोटाले की जांच एवं जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि इसमें सेंचुरी घोटाले में 11 मामले दर्ज हुए यह सारे मामले सी०वी०आई० ने विवेचना के उपरान्त आरोप-पत्र विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां प्रेषित कर दिये गये हैं। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया। समिति ने उक्त पर संतोष प्रकट करते हुए आश्वासन को ड्राप किया। (दि० 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)-11

373/2001 3-5-01 : नियम-51
श्री रघुवर दयाल वर्मा-
दिनांक 13-4-01 को श्री कैलाश
चन्द्र वर्मा के अपहरण
मु0अ0सं0-42/2001 तथा दिनांक
25-3-01 को श्री राजू पुत्र श्री
रामदास नि0 जोदाई के अपहरण
की थाना मटसैना में दर्ज
मु0अ0सं0-32/2001 के
अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा
क्षेत्राधिकारी की जांच रिपोर्ट।

कार्यवाही की जायेगी।

अवगत कराया गया कि इसमें 9 अभियुक्तों को सश्रम
10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रुपया जुर्माना
किया गया तथा शेष को दोषमुक्त किया गया। समिति ने उक्त से
संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)-3

958/2001 18-5-01 : नियम-56
पश्चिमी उ0प्र0 में नकाबपोश द्वारा
की गयी घटनाओं से जनमानस में
व्याप्त भय के सम्बन्ध में जांच
कार्यवाही।

कार्यवाही की जायेगी।

अवगत कराया गया कि इसी विषय पर आश्वासन
सं0-1142/2001 का उत्तर समिति को प्रेषित किया गया था।
समिति ने दिनांक 6-7-2006 की बैठक में इसे पूर्ण मान लिया
था। समिति ने उसी को आधार लेकर इस आश्वासन को भी पूर्ण
माना।

1	2	3	4
			(दि० 24-11-2010 की कार्यवाही से पूर्ण)
		गृह (पुलिस)-4	
968/2001	21-5-01 : तारांकित-2 श्री श्यामदेव राय चौधरी- सेंचुरी कन्सलटेन्ट लि० के विरुद्ध मु०अ०सं०-256/2001 से 256डी/2001 तक के अतिरिक्त मु०अ०सं०-256/2001 एवं 256ई/2001 को सी०बी०आई० से जांच कराने के सम्बन्ध में।	विवेचना की जा रही है।	अवगत कराया गया कि इसमें सी०बी०आई० ने जांच कर ली है। आरोप-पत्र चला गया है और यह मामला अब प्री चार्ज स्टंग पर है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि० 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
		गृह (पुलिस)-5	
1211/2001	28-5-01 : अतारांकित-23 श्री राम कुमार एडवोकेट- जनपद उन्नाव में शस्त्र लाइसेन्स हेतु लम्बित प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में।	निर्देशित कर दिया गया है।	अवगत कराया गया कि कुल लम्बित 17135 शस्त्र आवेदन-पत्रों में से 2367 का निस्तारण किया जा चुका है। अवशेष 14868 शस्त्र आवेदन-पत्रों का निस्तारण किया जा रहा है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि लम्बित आवेदन-पत्रों का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर शीघ्र कराया जाये। (दि० 30-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		गृह (पुलिस)-4	

1323/2001 29-5-01 : नियम-51 कार्यवाही की जायेगी।
श्री राम कुमार एडवोकेट-
पावर कारपोरेशन में तार
ट्रांसफार्मर एवं चोरी की घटनाओं
के सम्बन्ध में तत्काली
एफ0आई0आर0 दर्ज करने के
सम्बन्ध में दिये निर्देश पर
कार्यवाही।

अवगत कराया गया कि इस मामले में किसी प्रकार की घटना प्रकाश में नहीं आई। चोरी की घटनाओं में पावर कारपोरेशन द्वारा जो शिकायत होती है उसमें तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज की जाती है और विधिक कार्यवाही की जाती है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)-12

53/2002 12-8-02 : अतारांकित-107 जांच की जा रही है।
श्री रियाज अहमद-
जनपद पीलीभीत थाना अमरिया
क्षेत्र के अतदिया में 25-12-01 में
सर्राफ मंसूर अहमद की दुकान में
हुई चोरी की जांच में अन्तिम
रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले
विवेचनाधिकारी के विरुद्ध चल
रही जांच को पूर्ण किये जाने के
सम्बन्ध में।

अवगत कराया गया कि इसमें अदालत द्वारा अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा एवं पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया। विवेचनाधिकारी श्री ओम प्रकाश तिवारी को दोषी पाये जाने पर 15 दिन के वेतन के समतुल्य अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-3	
128/2004	20-2-04 श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव- कानपुर के रामा डेन्टल कालेज के एक छात्र तथा मेडिकल कालेज के छात्र सिद्धार्थ चौधरी द्वारा हिरोइन व अवैध असलहों के व्यापार किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि इसमें थाना गंवस्ता पर मु0अ0सं0-77/2004 धारा-41/411 आई0बी0सी0 पंजीकृत किया गया था। विवेचना के उपरान्त साक्ष्य के अभाव में अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित कर दी गयी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
		गृह (पुलिस)-3	
170/2005	1-3-05 : नियम-56 श्री लालजी टण्डन एवं श्री हुकुम सिंह- श्री राजवीर सिंह चेयरमैन नगर पंचायत एलम मुजफ्फरनगर की पंजाब नेशनल बैंक से निकलते समय हुई हत्या की जांच एवं पुत्र की सुरक्षा के सम्बन्ध में।	जांच की जायेगी।	अवगत कराया गया कि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के समय ही मुख्य अभियुक्त विनय उर्फ भटकू की मृत्यु हो गयी। इसलिये मुकदमा अवेट हो गया। सुरक्षा उसी समय उपलब्ध करा दी गयी थी। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)-12

225/2005 3-3-05 : नियम-300 जांच की जायेगी।
श्री सुरेश कुमार खन्ना-
जनपद शाहजहांपुर के थाना
जलालाबाद में बदमाशों द्वारा
राजबहादुर की हत्या किये जाने के
सम्बन्ध में जांच।

अवगत कराया गया कि सी0बी0सी0आई0डी0 जांच में शिव
कुमार व रविनेश कुमार को दोषी पाया गया उनके विरुद्ध
आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। प्रकरण ए0डी0जे0 प्रथम
शाहजहांपुर के यहां विचाराधीन है। समिति ने उक्त से संतुष्ट
होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)-12

628/2005 24-11-05 : नियम-56 कार्यवाही की जायेगी।
श्री सुरेश कुमार खन्ना-
जनपद शाहजहांपुर के ग्राम
पलिहुरा की विधवा मिथिलेश
कुमारी की जमीन पर दबंगों द्वारा
किया कब्जा हटाया जाना।

अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में उक्त भूमि अवैध
कब्जे से मुक्त हो चुकी है। इसमें जो मिथिलेश कुमारी है भूमि पर
उन्हीं का कब्जा है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन
को ड्राप किया।

(दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)-12

768/2005 8-3-06 : नियम-51 कार्यवाही की जायेगी।
श्री सुरेश कुमार खन्ना-
जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला
स्थित मोदी एक्सपोर्ट कारखाने में
पड़ी डकैती की घटना के सम्बन्ध

अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में एफ0आई0आर0
एक्सेप्ट हो गयी है। समिति ने उक्त के परिप्रेक्ष्य में आश्वासन को
ड्राप किया।

(दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
	में कार्यवाही।		
		गृह (पुलिस)-12	
816/2005	20-3-06 : अतारांकित-125 श्री सुरेश कुमार खन्ना- ग्राम घंसा कल्याणपुर थाना गढ़िया रंगीन निवासी जगदीश की पुत्री कुसमा देवी को ग्राम कौड़ा गूजर थाना अलापुर जिला बदायूं में हत्या की जांच।	जांच प्रचलित है।	अवगत कराया गया कि विवेचनोपरान्त अभियुक्त श्याम लाल एवं रवीन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। समिति ने उक्त के परिप्रेक्ष्य में आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
		गृह (पुलिस)-9	
181/2006	11-12-2006 : तारांकित-1 श्री श्यामदेव राय चौधरी- राज्य में अग्रिम जमानत के प्राविधानों को लागू किया जाना।	शासन के विचाराधीन है।	अवगत कराया गया कि इसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित कराकर महामहिम राष्ट्रपति जी की समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
		गृह (पुलिस)-10	
272/2007	5-11-07 : अतारांकित-125 श्री श्यामदेव राय चौधरी-	राज्य सरकार के विचाराधीन है।	अवगत कराया गया कि उक्त संस्तुतियां शासनादेश रु0 260(1)/35 पु0-9-2007 दिनांक 07-9-2007 द्वारा लागू की

वर्ष 2006 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित पुलिस सुधार की संस्तुतियों को लागू किया जाना।

जा चुकी है। समिति ने शासन की आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)-1

251/2008 10-3-08 : अतारांकित-191 पूर्ण कर ली जायेगी।
श्री अनुग्रह नारायण सिंह-
प्रदेश में पुलिस विभाग के अन्तर्गत कान्सटेबिल हेड कान्सटेबिल निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के रिक्त पदों को भरा जाना।

अवगत कराया गया कि इसमें कुल 35844 रिक्तियां भरी जा चुकी है। समिति ने शासन की आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस)-3

292/2008 19-8-08 : नियम-56 कार्यवाही की जायेगी।
श्री माता प्रसाद पाण्डेय एवं डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-
जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज सहित पूरे प्रदेश में फैले नकली नोटों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में जांच एवं कार्यवाही

अवगत कराया गया कि विभिन्न जनपदों में नकली नोटों के पकड़े जाने से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोगों की विवेचना सी0बी0आई0 से कराये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 30-9-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

1	2	3	4
	किया जाना।		
		गृह (पुलिस) विभाग-3	
37/2009	17-2-09 : नियम-56 श्री राघव लखन पाल शर्मा- सहारनपुर नगर में दिनांक 26 जनवरी, 2009 को श्री विनय सडाना के पुत्र सजल सडाना को अपहरण की सी0वी0आई0 जांच कराने के सम्बन्ध में।	जांच की जायेगी।	अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में अभियुक्त उदयवीर हरवीर, सुधीर को गिरफ्तार कर हाजिर न्यायालय जेल भेजा गया और आरोप-पत्र न्यायालय भेजे जा चुके हैं। चूंकि इस मामले में विभाग द्वारा कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। जिस कारण समिति ने आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 24-11-2010 की कार्यवाही से ड्राप)
		गृह (पुलिस)-12	
200/2010	15-2-2010 : औचित्य का प्रश्न श्री सुल्तान बेग- श्री सुल्तान बेग, सदस्य, विधान सभा के फार्म हाउस पर दिनांक 17-1-10 को पुलिस द्वारा मारे गये छापे एवं झूठे मुकदमें में फंसाये जाने का परीक्षण कराया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया कि इसमें आरोप-पत्र सं0-52/2010 दिनांक 2-4-10 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। समिति ने शासन के पत्र दिनांक 25-3-2011 का संज्ञान लेकर आश्वासन को ड्राप किया। (दि0 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)

गृह (पुलिस) विभाग

269/2010 10-8-2010 : नियम-56 कार्यवाही की जायेगी।
श्री अम्बिका चौधरी-
प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध
कार्यवाही।

अवगत कराया गया कि इसमें कदाचित कोई ऐसे बिन्दु स्पष्ट नहीं हो रहा है। जिसमें कार्यवाही अपेक्षित है। अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। समिति ने विभागीय आख्या से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

(दि0 28-3-2011 की कार्यवाही से ड्राप)
